भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/डीओआर/2025-26/180

डीओआर.एचजीजी.जीओवी.सं.99/29.67.001/2025-26 28 नवंबर 2025

# भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – अभिशासन) निदेश, 2025

## विषयसूची

**अध्याय-I प्रारंभिक ..... 3**
**ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ ..... 3**
**बी. प्रयोज्यता ..... 3**
**सी. परिभाषाएं ..... 3**
**अध्याय II-बोर्ड का गठन और निदेशकों की नियुक्ति ..... 5**
**अध्याय III -एमडी और सीईओ, अंशकालिक अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक ..... 9**
**अध्याय IV - बोर्ड और व्यक्तिगत निदेशकों की भूमिका ..... 10**
**अध्याय V - बोर्ड की संरचना और प्रथाएं ..... 15**
**अध्याय VI -बोर्ड की समितियाँ ..... 18**
**ए. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति ..... 18**
**बी. जोखिम प्रबंधन समिति ..... 18**
**सी. नामांकन और पारिश्रमिक समिति ..... 19**
**अध्याय-VII मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति ..... 20**
**अध्याय-VIII मुख्य वित्त अधिकारी और मुख्य तकनीकी अधिकारी की नियुक्ति ..... 22**
**अध्याय IX-एनईडी, डब्ल्यूटीडी, एमडी एवं सीईओ, बड़े जोखिम लेने वालों और नियंत्रण कार्य स्टाफ का पारिश्रमिक ..... 23**
**अध्याय X - विनियामकीय अनुमोदन और रिपोर्टिंग ..... 33**
**अध्याय- XI निरसन और अन्य प्रावधान ..... 35**
**अनुलग्रक I ..... 37**
**अनुलग्रक-II ..... 46**
**अनुलग्रक -III ..... 52**
**अनुलग्रक -IV ..... 55**

अनुलग्नक-V........................................................................................................58
अनुलग्नक -VI.......................................................................................................62

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') को सक्षम करने वाले अन्य सभी प्रावधानों/कानूनों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आरबीआई इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा निम्नलिखित निदेश जारी किए जाते हैं।

## अध्याय-I प्रारंभिक

### ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - अभिशासन) निदेश, 2025 कहा जाएगा।

2. यह निदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे।

### बी. प्रयोज्यता

3. ये निदेश लघु वित्त बैंकों (जिसे इसके बाद सामूहिक रूप से 'बैंक/कों' और व्यक्तिगत रूप से 'बैंक' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) पर लागू होंगे।

   बशर्ते, लघु वित्त बैंक में परिवर्तित होनेवाली संस्थाओं के मामले में, मौजूदा निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें और नियम उनके संबंधित कार्यकाल के पूरा होने तक वैसे ही बने रहेंगी।

   बशर्ते कि गैर-अनुसूचित लघु वित्त बैंक अध्याय-VII में निहित प्रावधानों से छूट प्राप्त होंगे जो 'मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति' से संबंधित है और अध्याय-VIII में निहित प्रावधानों से छूट प्राप्त होंगे जो 'मुख्य वित्तीय अधिकारी और मुख्य तकनीकी अधिकारी की नियुक्ति' से संबंधित हैं।

4. इस मास्टर निदेश की सामग्री को अन्य प्रासंगिक शासी कानूनों के साथ पढ़ा जाना चाहिए और इन निदेशों के जारी करने से पहले आरबीआई द्वारा जारी किए गए लाइसेंसिंग शर्तों, अधिसूचनाओं, निदेशों, विनियमों, दिशानिर्देशों, अनुदेशों आदि में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद लागू होंगी।

### सी. परिभाषाएं

5. इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यहाँ प्रयुक्त पदों के वही अर्थ होंगे जो नीचे उन्हें दिए गए हैं:

(1) अध्यक्ष' का अर्थ है बैंक के बोर्ड का अंशकालिक अध्यक्ष।

(2) 'क्लॉबैक' का अर्थ है कर्मचारी और विनियमित इकाई के बीच एक संविदात्मक करार जिसमें कर्मचारी कुछ परिस्थितियों में इकाई को पहले भुगतान किए गए या निहित पारिश्रमिक को वापस करने के लिए सहमत होता है।

(3) 'निदेशक' का अर्थ है बैंक के बोर्ड में नियुक्त निदेशक।

(4) 'स्वतंत्र निदेशक' का अर्थ जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में परिभाषित किया है, होगा।

(5) 'प्रमुख शेयरधारक' का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक: शेयरों अथवा मताधिकारों का अधिग्रहण और धारिता) दिशानिर्देश, 2025 के तहत है।

(6) 'मैलस (Malus)' का अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो किसी बैंक को आस्थगित पारिश्रमिक की राशि के पूरे या कुछ हिस्से को निहित होने से रोकने की अनुमति देता है। मैलस (Malus) व्यवस्था, निहित होने की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद उसे उलटती नहीं है।

(7) 'रिश्तेदार' का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड 77 के तहत दिया गया है।

(8) 'प्रतिधारण अवधि' का अर्थ है उन लिखतों के निहित होने के बाद की अवधि, जिन्हें परिवर्तनीय वेतन के रूप में प्रदान किया गया है, जिसके दौरान उन्हें बेचा या एक्सेस नहीं किया जा सकता है।

(9) 'पर्याप्त ब्याज' का वही अर्थ होगा जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(एनई) में दिया गया है

6. अन्य सभी अभिव्यक्तियों का जब तक कि यहां परिभाषित न किया गया हो, वही अर्थ हैं जो उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 या बैंककारी अधिनियम, 1949 या कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों, या उसके किसी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन, या आरबीआई द्वारा प्रकाशित शब्दों की शब्दावली या जैसा भी मामला हो, सामान्य या वाणिज्यिक बोलचाल में उपयोग किया जाता है।

## अध्याय II - बोर्ड का गठन और निदेशकों की नियुक्ति

7. बैंक नियुक्ति/पुन: नियुक्ति के समय योग्यता, विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा और अन्य 'उपयुक्त और उचित' मानदंडों के आधार पर बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति/पुन: नियुक्ति के लिए व्यक्ति की उपयुक्तता का निर्धारण करने हेतु समुचित सावधानी प्रक्रिया अपनाएगा। इसके लिए, बैंक अनुलग्नक-I (अनुबंध I) में संलग्न प्रारूप में प्रस्तावित/मौजूदा निदेशकों से आवश्यक जानकारी और 'घोषणा और वचन पत्र' प्राप्त करेगा।

8. उपर्युक्त घोषणा-पत्रों की संवीक्षा नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा की जाएगी, जिसका गठन इन निदेशों के पैरा 42 से 46 के संदर्भ में किया गया है। यह समिति, हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर, उन्हें स्वीकार करने का निर्णय लेगी; और जहाँ भी आवश्यक समझा जाएगा, वहाँ उचित प्राधिकारी/व्यक्तियों को संदर्भ भेज सकती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उल्लिखित बताए गए नियमों और शर्तों का पालन कर रहे हैं।

*बशर्ते,*

(i) अखंडता और उपयुक्तता आकलन करने के लिए, आपराधिक रिकॉर्ड, वित्तीय स्थिति, व्यक्तिगत ऋणों की वसूली के लिए शुरू की गई कानूनी कार्रवाइयां, पेशेवर निकायों में प्रवेश अस्वीकार करना या निष्कासन, विनियामकों या सादृश्य निकायों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और पिछले संदिग्ध व्यावसायिक प्रथाओं आदि पर विचार किया जाएगा।

(ii) जबकि एनआरसी के सदस्यों के अलावा निदेशकों की 'उचित जाँच-पड़ताल 'एनआरसी द्वारा की जाएगी, एनआरसी के सदस्यों के संबंध में 'उचित जाँच-पड़ताल' बोर्ड द्वारा ही की जाएगी और एनआरसी के सदस्य (हितधारक पक्ष होने के नाते) इसमें शामिल नहीं होंगे;

(iii) यदि एनआरसी के किसी सदस्य ने बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव रखा है या समर्थन किया है, तो एनआरसी का ऐसा सदस्य निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के संबंध में उचित जाँच-पड़ताल' करने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होगा। ऐसे सभी मामलों में, बैंक का बोर्ड किसी अन्य निदेशक को, एनआरसी के अस्थायी सदस्य के रूप में नामित करेगा, जो बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के संबंध में 'उचित जाँच-पड़ताल' का कार्य करेगा।

9. निदेशकों के लिए व्यापक 'उपयुक्त और उचित' मानदंडों में औपचारिक योग्यता, अनुभव, ट्रैक रिकॉर्ड, अखंडता आदि शामिल होंगे। इसके अलावा, बैंक स्वतंत्र/गैर-कार्यकारी निदेशकों (एनईडी) के लिए प्रस्तावित उम्मीदवारों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों का पालन करेगा:

(i) आयु: न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगी। बोर्ड के अध्यक्ष सहित एनईडी के लिए अधिकतम आयु सीमा 75 वर्ष होगी और 75 वर्ष की आयु होने के बाद कोई भी व्यक्ति इन पदों पर बने नहीं रह सकता है।

(ii) शैक्षिक योग्यता - उम्मीदवार को कम से कम स्नातक होना चाहिए (हालांकि, किसानों, जमाकर्ताओं, कारीगरों आदि श्रेणियों के लिए निदेशक का चयन करते समय इसमें छूट दी जा सकती है)।

(iii) अनुभव और विशेषज्ञता क्षेत्र - बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 10अ(2) (ए) के अनुसार, बैंकिंग कंपनी के बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या का 51 प्रतिशत से कम नहीं होगी, यह उन व्यक्तियों को मिलाकर होगी जिन्हें निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक या अधिक क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होगा, अर्थात्:

(ए) लेखांकन

(बी) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

(सी) बैंकिंग,

(डी) सहकारिता,

(ई) अर्थशास्त्र,

(एफ) वित्त,

(जी) विधि,

(एच) लघु उद्योग,

(आई) सूचना प्रौद्योगिकी,

(जे) भुगतान और निपटान प्रणाली,

(के) मानव संसाधन,

(एल) जोखिम प्रबंधन,

(एम) व्यवसाय प्रबंधन, और

(एन) कोई अन्य मामला, जिसके बारे में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, आरबीआई के दृष्टिकोण से बैंक के लिए उपयोगी होगी।

बशर्ते कि उपरोक्त निदेशकों की संख्या में से कम से कम दो ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन्हें कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सहकारिता या लघु उद्योग के बारे में विशेष जानकारी या व्यावहारिक अनुभव हो।

(iv) पर्याप्त रुचि और अन्य प्रतिबंध - बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 10 ए (2) (बी) के अनुसार, किसी बैंकिंग कंपनी के बोर्ड के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 51 प्रतिशत में ऐसे व्यक्ति शामिल नहीं होंगे, जो :

(ए) किसी कंपनी में कर्मचारी प्रबंधक या प्रबंध एजेंट के रूप में पर्याप्त रुचि रखते हैं, या उससे जुड़े हुए हैं, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 या कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत संबंधित प्रावधान के तहत पंजीकृत कंपनी नहीं है, या कोई फर्म जो व्यापार, वाणिज्य या उद्योग का संचालन करती है और जो किसी भी मामले में एक लघु औद्योगिक उद्यम नहीं है:

(बी) किसी भी व्यापारिक, वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रतिष्ठान के मालिक हों', जो लघु-स्तरीय औद्योगिक प्रतिष्ठान नहीं है

(v) उम्मीदवार संसद सदस्य / विधान सभा सदस्य / विधान परिषद सदस्य नहीं होना चाहिए।

(vi) यदि किसी एनबीएफआई के बोर्ड के किसी निदेशक को बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया जाना है, तो निम्नलिखित शर्तों का पालन करना आवश्यक है:

i. वे एनबीएफआई के मालिक नहीं होंगे, [अर्थात, शेयरहोल्डिंग (एकल या रिश्तेदारों, सहयोगियों आदि के साथ मिलकर) 50 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए],

ii. वे एनबीएफआई के प्रमोटर के रिश्तेदार नहीं होंगे,

iii. वे एनबीएफआई में पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं होंगे

iv. संबंधित एनबीएफआई, बैंक का उधारकर्ता नहीं होगा।

(vii) वांछनीय प्रथा के रूप में, किसी बैंक के निदेशक मंडल में एक परिवार या निकट संबंधी या सहयोगी (साझेदार, कर्मचारी, निदेशक, आदि) का एक से अधिक सदस्य नहीं होना चाहिए।

(viii) कार्यकाल - किसी बैंक के बोर्ड में एनईडी का कुल कार्यकाल, लगातार या अन्यथा, आठ वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। बैंक के बोर्ड में आठ साल पूरे करने के बाद तीन साल के न्यूनतम अंतराल के बाद ही व्यक्ति का पुनर्नियुक्ति के लिए विचार किया सकता है। इससे यह नहीं रोका जाता है कि वे आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन किसी अन्य बैंक में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाएं।

10. बैंक द्वारा निदेशक से निम्नलिखित प्राप्त किया जाएगा:

(i) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अनुबंध II में संलग्न प्रारूप में वचनबंध विलेख;

(ii) हर साल 31 मार्च को इस आशय की एक साधारण घोषणा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा पहले से प्रदान की गई जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है;

*बशर्ते कि,* जहां पहले प्रदान की गई जानकारी में परिवर्तन होता है, बैंक को निदेशक/निदेशकों से तुरंत अपेक्षित विवरण प्राप्त करना चाहिए। बैंक द्वारा इस प्रकार की निरंतर 'उचित जाँच-पड़ताल' करने का वार्षिक प्रमाण पत्र आरबीआई को प्रस्तुत किया जाएगा।

## अध्याय III - एमडी और सीईओ, अंशकालिक अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक

11. बैंक में निदेशक मंडल  का एक अंशकालिक अध्यक्ष और एक पृथक प्रबंध निदेशक एवं  मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी और सीईओ) होगा जो बैंक के दैनिक प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा।

12. बैंक को सुनिश्चित करना होगा कि उसके बोर्ड में कम से कम दो पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) हों, जिनमें एमडी और सीईओ भी शामिल है। पूर्णकालिक निदेशक की कुल संख्या का निर्णय बोर्ड करेगा, जिसमें कार्य का दायरा, व्यवसाय की जटिलता और अन्य महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाएगा।

13. समय-समय पर आवश्यक वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने के अधीन, बैंक के एमडी और सीईओ या पूर्णकालिक निदेशक के पद पर एक ही व्यक्ति 15 साल से अधिक समय तक बने नहीं रह सकता। इसके बाद, अगर बोर्ड आवश्यक और सही समझे, तो वह व्यक्ति कम से कम तीन साल के अंतराल के बाद और अन्य शर्तें पूरी करने पर, उसी बैंक में एमडी और सीईओ या पूर्णकालिक निदेशक के तौर पर पुन: नियुक्ति के लिए योग्य हो जाएगा। इस तीन साल की कूलिंग अवधि के दौरान, उस व्यक्ति को बैंक या उसके ग्रुप की कंपनियों में किसी भी तरह से, सीधे या परोक्ष रूप से, नियुक्त या उनसे जोड़ा नहीं जाएगा।

14. कोई भी व्यक्ति 70 वर्ष की आयु के बाद बैंक के एमडी एवं सीईओ या डब्ल्यूटीडी के रूप में सेवा जारी नहीं रखेगा। 70 वर्ष की समग्र सीमा के भीतर, अपनी आंतरिक नीति के हिस्से के रूप में, प्रत्येक बैंक का बोर्ड एमडी एवं सीईओ सहित डब्ल्यूटीडी के लिए कम सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है।

15. किसी बैंक के एमडी और सीईओ या पूर्णकालिक निदेशक, जो प्रमोटर या बड़े शेयरहोल्डर भी हैं, वे इन पदों पर 12 साल से ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते। हालांकि, विशेष सथियों में आरबीआई के विवेक से ऐसे एमडी और सीईओ या पूर्णकालिक निदेशक को 15 साल तक बने रहने की अनुमति दी जा सकती है। 12 या 15 साल की अवधि के दौरान ऐसे एमडी और सीईओ या पूर्णकालिक निदेशक की पुन: नियुक्ति के मामले की समीक्षा करते समय आरबीआई,  बैंक में प्रमोटरों की हिस्सेदारी कम करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने में हुई प्रगति और उनके पालन को भी ध्यान में रखेगा।

## अध्याय IV - बोर्ड और व्यक्तिगत निदेशकों की भूमिका

16. बैंक अपने मामलों का संचालन इस तरह से करेगा कि वह पूरी तरह से शोधनशील, पर्याप्त रूप से तरल और उचित रूप से लाभदायक बना रहे। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करेगा कि इसका ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम मौजूदा वैधानिक और विनियामक अनुदेशों के अनुरूप हैं।

17. बैंक का बोर्ड चार मुख्य भूमिकाएँ निभाएगा: बैंक के जोखिम प्रोफ़ाइल की देखरेख करना, उसके कामकाज और नियंत्रण प्रणाली की अखंडता पर नज़र रखना, विशेषज्ञ प्रबंधन सुनिश्चित करना और अपने हितधारकों के हितों को अधिकतम ध्यान रखना।

18. बैंक का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि उसके निदेशक की ज़िम्मेदारियाँ स्पष्ट रूप से तय हों, और प्रत्येक निदेशक को बैंक में सम्मिलित होने से पहले बैंक के कामकाज के बारे में परिचित कराया जाए, जिसमें निम्नलिखित आवश्यक मदें सम्मिलित हों:

    (i) बोर्ड द्वारा अलग-अलग अधिकारियों को अधिकार सौंपना,

    (ii) संस्थान की कार्यनीतिक योजना,

    (iii) संगठनात्मक ढांचा,

    (iv) वित्तीय और अन्य नियंत्रण और प्रणाली,

    (v) बाज़ार की आर्थिक विशेषताएँ और प्रतिस्पर्धी वातावरण।

19. बैंक के बोर्ड को स्वयं के साथ-साथ वरिष्ठ प्रबंधन और पूरे संगठन के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही की स्पष्ट रेखाएं निर्धारित करने और लागू करने की आवश्यकता होती है।

20. बैंक, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की गुणवत्ता पर अपने प्रबंधन और बोर्ड के बीच चर्चा को संस्थागत रूप देगा। बोर्ड को नियंत्रण की संस्कृति बनाने और बनाए रखने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

21. बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशक (एनईडी) नीति निर्माण, प्रदर्शन मूल्यांकन और बोर्ड तथा उसकी समितियों के निर्णयों को सही ढंग से लागू करने की व्यवस्था करने पर ध्यान देंगे, जबकि परिचालन से जुड़े पहलुओं की जिम्मेदारी एमडी एवं सीईओ और अन्य कार्यपालकों की होगी। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जिन पर एनईडी को विशेष ध्यान देना चाहिए, वे आरबीआई/सरकार की मौद्रिक और ऋण नीति का अनुपालन, नकद आरक्षित और वैधानिक तरलता अनुपात का पालन, धन का कुशल प्रबंधन और लाभप्रदता, धन का समग्र अनुभागीय परिनियोजन, प्रदर्शन बजट, विशेष रूप से अंतर-कार्यालय खातों का मिलान, ग्राहक सेवा, सतर्कता, धोखाधड़ी से बचाव और प्रबंधन सूचना और निगरानी की एक अच्छी प्रणाली का विकास हैं।

22. बैंक का एनईडी न केवल अपने विशेष क्षेत्र/गतिविधि से संबंधित बैंक के कार्य में रुचि लेगा, बल्कि कर्मचारियों से संबंधित मामलों सहित बैंक के कामकाज को प्रभावित करने वाले सामान्य नीति के सभी मामलों पर भी विचार करेगा। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक एनईडी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जमाकर्ताओं, शेयरधारकों और पूरे देश के हितों के लिए सबसे अनुकूल तरीके से कार्य करे।

23. उपरोक्त के संदर्भ में, एनईडी, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, निम्नलिखित का पालन करेगा:

(i) एनईडी बैंक का कर्मचारी नहीं है।

(ii) एनईडी के रूप में एक व्यक्ति के पास बैंक की ओर से कार्य करने की कोई शक्ति नहीं होगी और न ही वे प्रबंधन की ओर से बैंक के कर्मचारियों को कोई निदेश दे सकते हैं। एनईडी किसी भी मामले पर किसी अधिकारियों को कोई अनुदेश देने से परहेज करेगा और ऐसे मामले, यदि कोई हों, तो बैंक के एमडी एवं सीईओ के माध्यम से भेजे जाएंगे। इसके अलावा, यदि बोर्ड स्तर पर कोई निर्णय लेने या स्थिति की समीक्षा करने के लिए कोई जानकारी आवश्यक है, तो वह प्रबंधन से मांगी जाएगी।

(iii) जब तक कि बोर्ड के संकल्प द्वारा विशेष रूप से अधिकृत न किया गया हो, एनईडी केवल बोर्ड के अन्य सदस्यों के साथ बैठते हुए, सामूहिक निकाय के सदस्य के रूप में शक्ति का प्रयोग करेगा। बोर्ड के एक निदेशक या समिति को बोर्ड द्वारा किसी भी मामले पर अंतिम रूप से निर्णय लेने या बोर्ड को सिफारिशें करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।

(iv) एनईडी को उतनी ही सावधानी और समझदारी से कार्य करना चाहिए, जितनी एक आम व्यक्ति अपने स्वयं के कारोबार में बरतता है।

(v) एनईडी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अनुबंध, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव में शामिल है या बैंकिंग कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किए गए या किए जाने वाले किसी प्रस्ताव में शामिल है, प्रासंगिक परिस्थितियों के उनके संज्ञान में आने के बाद यथाशीघ्र बोर्ड को अपने हित की प्रकृति का प्रकटन करेगा जब ऐसे किसी अनुबंध, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है। जब तक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से अन्य निदेशकों द्वारा उनकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, तब तक कोई भी एनईडी, जिसके उपस्थित होने की आवश्यकता है, ऐसे किसी भी अनुबंध, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा।

(vi) एनईडी किसी भी व्यक्ति के प्रस्ताव को प्रायोजित नहीं करेगा, और न ही वह किसी ग्राहक को ऋण या दूसरी सुविधाएँ मंज़ूर करवाने के लिए सीधे शाखा प्रबंधक से संपर्क

करेगा। जहाँ ऋण के व्यक्तिगत आवेदन को मंज़ूरी देना और ऋण की योग्यता तय करना आदि तकनीकी विशेषज्ञ अर्थात बैंक के अधिकारियों का कार्य है, वहीं ऋण प्रस्तावों की जाँच करते समय एनईडी को संबंधित यूनिट की स्थिति का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए। इसके लिए उन्हें नकदी प्रवाह की स्थिति देखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए कि यूनिट की स्थिति खराब न हो और निधि कहीं लॉक न हो जाएँ।

(vii) एनईडी कर्मचारियों या अधिकारियों की भर्ती, स्थानांतरण, पदोन्नति, पदस्थापना और अन्य संबंधित मामलों के संबंध में व्यक्तिगत मामलों को प्रायोजित नहीं करेगा। यदि उन्हें किसी व्यक्तिगत कर्मचारी के विरुद्ध कोई विशिष्ट शिकायत है, तो उन्हें एमडी एवं सीईओ के ध्यान में लाया जाएगा और उनके नीचे के किसी भी अधिकारी के ध्यान में नहीं लाया जाएगा।

(viii) बैंक और उसके निदेशक, अधिकारी आदि, कानून की अन्य आवश्यकताओं को छोड़कर, बैंकरों के बीच प्रचलित तौर-तरीकों और रीति-रिवाजों का पालन करेंगे। विशेष रूप से वे अपने ग्राहकों या उनके कामकाज से जुड़ी कोई भी जानकारी तब तक उजागर नहीं करेंगे, जब तक कि कानून या बैंकरों के बीच प्रचलित तौर-तरीकों और रीति-रिवाजों के अनुसार बैंकिंग कंपनी के लिए ऐसी जानकारी देना आवश्यक या उचित न हो।

24. बैंक के बोर्ड में शामिल एनईडी अपनी भूमिका इस तरह से निभाएगा कि वह अध्यक्ष की सहायता कर सकें और बैंक के कामकाज में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार लाने के लिए प्रबंधन को मजबूत कर सकें। इस संबंध में, एनईडी को 'क्या करें और क्या न करें' की सूची जो कि केवल उदाहरणात्मक है न कि सम्पूर्ण, का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा:

(i) करें: एनईडी द्वारा निम्नलिखित किया जाएगा

(ए) नियमित रूप से और प्रभावी ढंग से बोर्ड की बैठकों में भाग लें;

(बी) बोर्ड के कागज़ात का अच्छी तरह से अध्ययन करें और बोर्ड की बैठक में कोई भी जानकारी हासिल करने के लिए मुख्य कार्यपालक की मदद लें;

(सी) प्रबंधन से बोर्ड के कागजात और एक निश्चित समय-सारणी पर अनुवर्ती रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहें;

(डी) सामान्य नीति तैयार करने के मामले में पूरी तरह से शामिल हों और यह भी सुनिश्चित करें कि बैंक के प्रदर्शन की बोर्ड स्तर पर पर्याप्त निगरानी की जाए

(ई) बैंक के व्यापक उद्देश्यों तथा सरकार और आरबीआई द्वारा निर्धारित नीति से परिचित रहें;

(एफ) बैंक के बेहतर प्रबंधन और मूल्यवान योगदान के लिए रचनात्मक विचार प्रस्तुत करें;

(जी) एक टीम के रूप में कार्य करें और व्यक्तिगत प्रस्तावों के प्रति पक्षपाती या पूर्वाग्रही न बनें। प्रबंधन अपनी ओर से सम्पूर्ण तथ्य और पूर्ण कागजात पहले से प्रस्तुत करेगा

(एच) प्रबंधन को जितना संभव हो उतना प्रज्ञता, मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करें; और

(आई) अर्थव्यवस्था के रुझानों का विश्लेषण करना, जनता के प्रति प्रबंधन की जिम्मेदारी के निर्वहन में सहायता करना और ग्राहक सेवा में सुधार के लिए उपायों का निर्माण करना और बैंक प्रबंधन के लिए रचनात्मक सहायता करना।

(ii) न करें: एनईडी द्वारा निम्नलिखित नहीं करना चाहिए:

(ए) बैंक के किसी भी अधिकारी को कोई अनुदेश देना या किसी मामले में कोई अधिकारी को निदेश देना;

(बी) कार्मिक प्रशासन से संबंधित किसी भी मामले में स्वयं को शामिल करना चाहे वह नियुक्ति, स्थानांतरण, पदस्थापन या पदोन्नति हो या किसी कर्मचारी की व्यक्तिगत शिकायतों का निवारण हो

(सी) बैंक के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में हस्तक्षेप करना;

(डी) दैनिक या रोजमर्रा के व्यवसाय और प्रबंधन कार्यों में स्वयं को शामिल करना;

(ई) किसी भी प्रकार की सुविधा के अनुमोदन के लिए किसी शाखा प्रबंधक या किसी अन्य अधिकारी को संपर्क करना या प्रवृत्त करना;

(एफ) बैंक के परिसरों के लिए किसी भी ऋण प्रस्तावों, भवनों और स्थलों को प्रायोजित करना, ठेकेदारों, वास्तुकारों, डॉक्टरों, वकीलों आदि की भर्ती या नियुक्ति करना या कुछ भी करना जो अनुशासन, अच्छे आचरण और कर्मचारियों की अखंडता के रखरखाव में हस्तक्षेप करेगा और/या विध्वंसक होगा।

(जी) यदि कोई प्रस्ताव जिसमें वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रुचि रखते हैं, चर्चा के लिए आता है तो बोर्ड की चर्चा में भाग लें। वे अपने हित का प्रकटन एमडी और सीईओ को बहुत पहले ही कर देंगे;

(एच) बैठकों में चर्चा की जानेवाली कार्यसूची की मदों के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा जांच आदि के लिए रिकॉर्ड किए गए कागजात/फाइलें/नोट्स की मांग करना। निर्णय लेने के लिए उन्हें जो भी जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, वह प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

(आई) बैंक के किसी भी घटक से संबंधित कोई भी जानकारी किसी को प्रकट करना क्योंकि वे गोपनीयता और निष्ठा की शपथ के तहत हैं। बैंक के एजेंडा पत्रों/नोट्स की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए, यह सुझाव दिया जाता है कि प्रचुर सावधानी के माध्यम से, बोर्ड के कागजात बैठक के बाद बैंक को लौटा दिए जाएं;

(जे) बैंक के अधिकारियों को बुलाना या किसी भी मामले पर ऐसे अधिकारियों को निदेश देना;

(के) किसी कर्मचारी या संघ को किसी मामले में उनसे संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करना;

(एल) उनके विज़िटिंग कार्ड/लेटर हेड पर बैंक के लोगो या विशिष्ट डिज़ाइन प्रदर्शित करना। वे अपने विज़िटिंग कार्ड या लेटर हेड पर बैंक के निदेशक होने का संकेत दे सकते हैं।

25. एमडी एवं सीईओ / डब्ल्यूटीडी ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो उन्हें बोर्ड द्वारा उन्हें सौंपे गए हैं । बोर्ड की ओर से बैंक के कुशल प्रबंधन की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। इन्हीं के माध्यम से बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए गए कार्यक्रम, नीतियाँ और निर्णय लागू किए जाते है और फिर इन्हीं के माध्यम से बोर्ड को संगठन के विभिन्न स्तरों पर अपने विचार-विमर्श पर राय और प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। ये वहीं लोग हैं जो बैंक के कर्मचारियों को बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई नीति की व्याख्या करते हैं और बोर्ड की नीतियों के अनुसरण में अनुदेश जारी करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि इन अनुदेशों का पूरा पालन किया जाए।

## अध्याय V - बोर्ड की संरचना और प्रथाएं

26. बैंक के बोर्ड के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होंगे। बोर्ड के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी।

27. बोर्ड बैठकों के लिए कोरम बोर्ड की कुल संख्या का एक-तिहाई या तीन निदेशक, जो भी अधिक हो, होगा। बोर्ड की बैठकों में उपस्थित निदेशकों में से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।

28. बैंक अपने बोर्ड के अनुमोदन से बोर्ड की कार्यसूची की वस्तुओं और उनकी आवृत्ति का निर्धारण करेगा, ताकि रणनीतिक और वित्तीय महत्व के मामलों पर पर्याप्त ध्यान दिया जा सके, जिसमें नीचे दर्शाए गए सात व्यापक विषय शामिल हैं:

| **श्रेणी** | **विवरण** |
|---|---|
| **व्यापार रणनीति** | नए उत्पादों का विकास;<br>व्यक्तिगत व्यापारों की प्रतिस्पर्धात्मकता;<br>लक्ष्यों के संबंध में व्यापार समीक्षा। |
| **जोखिम** | साख, परिचालन, बाजार और चलनिधि जोखिमों से संबंधित नीतियां;<br>जोखिम प्रबंधन कार्य की स्वतंत्रता का आकलन। |
| **वित्तीय रिपोर्ट और उनकी शुद्धता** | तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों की विस्तृत जांच;<br>एनपीए प्रबंधन और;<br>रिपोर्ट किए गए एनपीए और प्रावधानों की शुद्धता। |
| **अनुपालन** | विनियामक  आवश्यकताएं;<br>आरबीआई और सेबी के मानदंडों का पालन;<br>आरबीआई के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण की टिप्पणियाँ और विस्तृत लेखा परीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणियाँ :<br>पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर लिए गए निर्णयों की समीक्षा और सहायक कंपनियों के भीतर प्रमुख निर्णय;<br>कृत कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा;<br>बोर्ड समितियों में नियुक्तियाँ |
| **ग्राहक संरक्षण** | गलत बिक्री, विशेष रूप से तीसरे पक्ष के उत्पादों की;<br>विभिन्न ग्राहक वर्गों के लिए उत्पादों की उपयुक्तता निर्धारित करना; |

| | |
|---|---|
| | ग्राहक शिकायतों की वृद्धि में व्यापक प्रवृत्तियों और एकाग्रता को समझना और उनका समाधान। |
| **वित्तीय समावेशन** | प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण की समीक्षा;<br>वंचित वर्गों के लिए भुगतान;<br>कमजोर वर्गों से जमा जुटाना;<br>लघु वित्त संस्थाओं को सहायता और अन्य मुद्दे। |
| **मानव संसाधन** | निदेशकों की नियुक्तियां और अनुमोदन;<br>कर्मचारियों के लिए सुविधाएं और रियायतें<br>कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं;<br>कर्मचारियों के लिए पदोन्नति नीतियां;<br>कर्मचारियों का प्रशिक्षण और कौशल विकास। |

29. बोर्ड निम्नलिखित की निगरानी करेगा:

(i) बैंक द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन प्रणाली, नीति और रणनीति;

(ii) बैंक की संबंधित संस्थाओं के एक्सपोजर, अर्थात सहायक कंपनियों को ऋण/निवेश का विवरण, ऐसे ऋण/निवेश का आस्ति वर्गीकरण आदि; और

(iii) कॉर्पोरेट अभिशासन मानकों के अनुरूपता, जैसे कि विभिन्न समितियों की संरचना, उनकी भूमिका और कार्य, बैठकों की आवृत्ति और कवरेज एवं समीक्षा कार्यों के अनुपालन आदि।

30. किसी भी बैंक का बोर्ड पिछली बैठकों से उत्पन्न बिंदुओं पर की गई कार्रवाई की स्थिति की समीक्षा करेगा जब तक कि बोर्डकी संतुष्टि के लिए कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, और कोई भी लंबित मद बोर्ड के समक्ष कार्यसूची की मद के हिस्से के रूप में लगातार प्रस्तुत किया जाएगा।

31. बैंक, आरबीआई और सरकार से प्राप्त सभी निदेशों/परिपत्रों और अन्य महत्वपूर्ण पत्राचारों की प्रतियां, उक्त परिपत्रों में निहित नीतियों और अनुदेशों को संप्रेषित करने वाली पर्याप्त पृष्ठभूमि और पूरक जानकारी के साथ, अपने बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

32. बैंक के बोर्ड को रणनीतिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाने के लिए, निम्नलिखित कार्य बोर्ड की किसी समिति को सौंपे जा सकते हैं:

(i) विभिन्न प्रदर्शन क्षेत्रों से संबंधित समीक्षाएं। प्रत्येक समीक्षा का केवल एक सारांश समय-समय पर बोर्ड के समक्ष रखा जा सकता है;

(ii) बैंक के एक्सपोजर (ऋण और निवेश दोनों) की निगरानी;

(iii) जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया की पर्याप्तता और उसके उन्नयन की समीक्षा;

(iv) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली;

(v) सांविधिक/नियामक ढांचे के अनुपालन को सुनिश्चित करना, आदि।

33. बोर्ड की बैठकों की कार्यवाही को रिकॉर्ड और अनुवर्तन करने के तरीके में सुधार करने के लिए, बैंक अपने बोर्ड को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करेगा:

(i) निदेशकों द्वारा किए गए प्रमुख अवलोकनों का सारांश जो अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा; और

(ii) कार्यवाही का विस्तृत रिकॉर्ड जो स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत निदेशकों के अवलोकनों, असहमति आदि को उजागर करे, जिसे उनके पुष्टिकरण के लिए उन्हें अग्रेषित किया जाएगा।

## अध्याय VI -बोर्ड की समितियाँ

### ए. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

34. बैंक को केवल गैर-कार्यकारी निदेशकों से मिलकर एक बोर्ड लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन करना होगा। सदस्यों में सभी वित्तीय विवरणों और उनसे जुड़े नोट्स/रिपोर्टों को समझने की क्षमता होनी चाहिए और कम से कम एक सदस्य के पास वित्तीय लेखांकन या वित्तीय प्रबंधन में आवश्यक पेशेवर विशेषज्ञता/योग्यता होनी चाहिए [उदाहरण के लिए, लेखांकन मानकों और प्रथाओं के अनुप्रयोग का अनुभव, जिसमें आंतरिक नियंत्रण शामिल हैं] ।

*बशर्ते कि,* बोर्ड के अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति के सदस्य नहीं होंगे।

इस संबंध में, बैंक, लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) के गठन, कार्यों और निगरानी तंत्र के संबंध में परिपत्रों डीओएस.सं.5/16.13.100/94 दिनांक 09 अप्रैल, 1994; डीओएस.सं.बीसी.14/प्रशा. /919/ 16.13.100/95 दिनांक 26 सितंबर, 1995; डीओएस.सं. बीसी.18/08.91.020/96 दिनांक 23 सितंबर, 1996; और डीबीएस.एआरएस.बीसी.4/08.91.020/2010-11 दिनांक 10 नवंबर 2010 का भी संदर्भ लें।

35. लेखा परीक्षा समिति(एसीबी) के अध्यक्ष बोर्ड की किसी भी ऐसी समिति के सदस्य नहीं होंगे जिसका अधिदेश क्रेडिट एक्सपोजर को मंजूरी देने का हो।

36. लेखा परीक्षा समिति(एसीबी) की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी जो बोर्ड की किसी अन्य समिति के अध्यक्ष नहीं होंगे।

37. लेखा परीक्षा समिति(एसीबी) की बैठक कम से कम तिमाही में एक बार तीन सदस्यों के कोरम के साथ होनी चाहिए। लेखा परीक्षा समिति(एसीबी) की बैठक में उपस्थित सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।

### बी. जोखिम प्रबंधन समिति

38. बैंक का बोर्ड गैर-कार्यकारी निदेशकों के बहुमत के साथ बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करेगा।

39. बोर्ड के अध्यक्ष केवल तभी बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य हो सकते हैं यदि उनके पास आवश्यक जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञता हो।

40. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक कम से कम प्रत्येक तिमाही में एक बार तीन सदस्यों के कोरम के साथ होनी चाहिए। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों में से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, जिनमें से कम से कम एक सदस्य के पास जोखिम प्रबंधन में पेशेवर विशेषज्ञता/योग्यता होनी चाहिए। बैंक को 'Guidance Note on Management of Credit' का भी संदर्भ लेना चाहिए।

41. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी जो बोर्ड का अध्यक्ष या बोर्ड की किसी अन्य समिति का अध्यक्ष नहीं होगा।

**सी. नामांकन और पारिश्रमिक समिति**

42. बैंक को केवल गैर-कार्यकारी निदेशकों से मिलकर एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन करना होगा।

43. बोर्ड के अध्यक्ष नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की अध्यक्षता नहीं करेंगे।

44. नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की बैठक तीन सदस्यों के कोरम के साथ होगी। नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की बैठक में उपस्थित सदस्यों में से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, जिनमें से एक निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति आरएमसीबी का सदस्य होगा।

45. नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी।

46. नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित की जा सकती है।

## अध्याय-VII मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति

47. बैंक को मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने वाली एक निदेशक मंडल-अनुमोदित नीति तैयार करनी होगी।

48. मुख्य जोखिम अधिकारी, बैंक के पदानुक्रम में एक वरिष्ठ अधिकारी होगा और उसे जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में आवश्यक और पर्याप्त पेशेवर योग्यता/अनुभव प्राप्त होगा।

49. पैरा 47 में उल्लिखित नीति में मुख्य जोखिम अधिकारी की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय शामिल होंगे। इस प्रयोजन से, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि:

(i) सीआरओ की सीधी रिपोर्टिंग लाइन एमडी और सीईओ/आरएमसीबी के पास होगी;

(ii) यदि सीआरओ, एमडी और सीईओ को रिपोर्ट करता है, तो आरएमसीबी कम से कम त्रैमासिक आधार पर एमडी और सीईओ की अनुपस्थिति में मुख्य जोखिम अधिकारी के साथ बैठक आयोजित करेगी;

(iii) सीआरओ का कारोबारी वर्टिकल के साथ कोई रिपोर्टिंग संबंध नहीं होगा और उसे कोई कारोबारी लक्ष्य नहीं दिए जाएंगे; और

(iv) किसी भी प्रकार की दोहरी भूमिकाएं (डुअल हैटिंग) नहीं होंगी, अर्थात मुख्य जोखिम अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य परिचालन अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी, आंतरिक लेखा परीक्षा प्रमुख या किसी अन्य प्रमुख कार्य का उत्तरदायित्व नहीं दिया जाएगा।

50. बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति बोर्ड के अनुमोदन से एक निश्चित कार्यकाल के लिए की जाएगी और कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्हें केवल बोर्ड के अनुमोदन से ही उनके पद से स्थानांतरित/हटाया जा सकता है। ऐसे समय से पूर्व स्थानांतरण/हटाने की रिपोर्ट आरबीआई के पर्यवेक्षण विभाग को दी जाएगी। सूचीबद्ध बैंकों के मामले में, मुख्य जोखिम अधिकारी के पदधारक में किसी भी बदलाव की रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंजों को भी दी जाएगी।

51. प्रभावी जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में, बैंक में क्रेडिट जोखिम प्रबंधन के कार्य को क्रेडिट मंज़ूरी की प्रक्रिया से पृथक रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि किसी बैंक का सीआरओ क्रेडिट मंज़ूरी की प्रक्रिया से जुड़ा है, तो स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि सीआरओ की भूमिका सलाहकार की होगी या निर्णयन की। इस संबंध में, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि:

(i) जिस बैंक में उच्च मूल्य वाले प्रस्तावों के लिए क्रेडिट मंज़ूरी की प्रक्रिया में समिति का तरीका अपनाया जाता है, वहाँ यदि सीआरओ क्रेडिट मंज़ूरी की प्रक्रिया में निर्णय लेने वालों में से

एक है, तो सीआरओ के पास वोटिंग का अधिकार होगा और क्रेडिट मंज़ूरी की प्रक्रिया में शामिल सभी सदस्य, क्रेडिट प्रस्ताव से जुड़े जोखिम के नज़रिए सहित सभी पहलुओं के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से ज़िम्मेदार होंगे। यदि सीआरओ क्रेडिट मंज़ूरी की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, तो उसकी भूमिका केवल सलाहकार तक ही सीमित रहेगी।

(ii) जिस बैंक में अधिक मूल्य वाले क्रेडिट की मंज़ूरी के लिए कमेटी का तरीका नहीं अपनाया जाता है, वहाँ सीआरओ, मंज़ूरी की प्रक्रिया में केवल सलाहकार हो सकता है और उसके पास मंज़ूरी देने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(iii) सलाहकार के तौर पर सीआरओ को क्रेडिट मंज़ूरी/अनुमोदन समिति में आमंत्रित सदस्य के तौर पर बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसी कमेटी की कार्यवाही में उसे वोट देने का कोई अधिकार नहीं होगा।

## अध्याय-VIII मुख्य वित्त अधिकारी और मुख्य तकनीकी अधिकारी की नियुक्ति

52. चूंकि बैंक की प्रबंधन संरचना में इसके मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) या मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ) जोखिम अभिशासन ढांचे को मजबूत और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए बैंक को इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करते समय, न्यूनतम निम्नलिखित योग्यताएं और अनुभव निर्धारित करने होंगे:

| **भूमिका** | **मानदंड (न्यूनतम योग्यता और अनुभव)** |
|---|---|
| मुख्य वित्त अधिकारी | योग्यता: योग्य सनदी लेखाकार।<br>अनुभव: बैंकों/बड़े निगमों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/वित्तीय संस्थाओ/वित्तीय सेवा संगठनों में वित्तीय संचालन, वरीय रूप से लेखांकन और कराधान मामलों, की देखरेख में पंद्रह वर्ष का अनुभव, जिसमें से दस वर्ष बैंकों / वित्तीय संस्थाओं में होने चाहिए (जिनमें से पांच वर्ष वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर होने चाहिए)। |
| मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी | योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से इंजीनियरिंग स्नातक या एमसीए या समकक्ष योग्यता।<br>अनुभव: प्रासंगिक क्षेत्रों जैसे बैंकिंग-आईटी संबंधित क्षेत्र / आईटी नीति और योजना शामिल परियोजनाएं / वित्तीय नेटवर्क और अनुप्रयोग / वित्तीय सूचना प्रणालियां / साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकियां / भुगतान प्रौद्योगिकियां आदि में पंद्रह वर्ष का अनुभव, जिसमें से पांच वर्ष वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर होने चाहिए। |

*बशर्ते कि* बैंक, संचालन के जोखिम प्रोफाइल, आकार और परिचालनों के पैमाने को ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त योग्यताएं और अनुभव निर्धारित कर सकता है।

## अध्याय IX - एनईडी, डब्ल्यूटीडी, एमडी एवं सीईओ, बड़े जोखिम लेने वालों और नियंत्रण कार्य स्टाफ का पारिश्रमिक

53. बैंक अपने गैर-कार्यकारी निदेशक (एनईडी) को पारिश्रमिक निम्नलिखित रूप में दे सकता है:

(i) बैठक शुल्क और यात्रा/ठहराव भत्ता अर्थात बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने से संबंधित व्यय जिसे मौजूदा वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के अधीन बोर्ड के अनुमोदन से तय किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस संबंध में बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी के तहत आरबीआई से अनुमोदन के लिए संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है; और

(ii) बोर्ड के अध्यक्ष को छोड़कर एक एनईडी के लिए वार्षिक 30 लाख रुपये से अधिक नहीं का स्थिर पारिश्रमिक। इस उद्देश्य के लिए, बैंक को उपयुक्त मानदंड निर्धारित करने चाहिए, ताकि स्थिर पारिश्रमिक किसी व्यक्तिगत निदेशक की जिम्मेदारियों और समय की मांग के अनुरूप हो और योग्य सक्षम व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त माना जाए।

*स्पष्टीकरण:* बैंक का बोर्ड बैंक के आकार, एनईडी के अनुभव और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर 30 लाख रुपये वार्षिक की सीमा राशि के भीतर कम राशि निर्धारित कर सकता है।

54. डब्ल्यूटीडी, एमडी और सीईओ, बड़े जोखिम लेने वालों, और नियंत्रण कार्य स्टाफ के संबंध में बैंक की पारिश्रमिक नीतियां और प्रथाएं इन निदेशों के पैरा 55 में वर्णित दिशा-निर्देशों और पैरा 56 में विस्तृत बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति (बीसीबीएस) की कार्यप्रणाली के अनुरूप होंगी।

55. **<u>दिशानिर्देश</u>:** बैंक को नीचे वर्णित दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नीतियाँ या प्रणालियाँ लागू करनी चाहिए जो वित्तीय स्थिरता निदेशक मंडल (एफएसबी) के <u>सुदृढ़ पारिश्रमिक प्रथाओं के सिद्धांतों</u> (Principles for Sound Compensation Practices) और <u>उनके कार्यान्वयन मानकों</u> (Implementation Standards), साथ ही भारत के वर्तमान सांविधिक और विनियामक ढांचे पर आधारित हो:

(1) <u>दिशानिर्देश 1: प्रतिपूरक नीति</u>

बैंक को अपने सभी कर्मचारियों को शामिल करते हुए एक व्यापक प्रतिपूरक नीति तैयार करनी और अपनानी चाहिए और इसका वार्षिक समीक्षा करनी चाहिए। इन दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, नीति में प्रतिपूरक संरचना के सभी पहलुओं को कवर किया जाना चाहिए, जैसे कि स्थिर

वेतन, परिलब्धियां, प्रदर्शन बोनस, गारंटीकृत बोनस (कार्यग्रहण/कार्यग्रहण पर एकमुश्त नकद भुगतान राशि), सेवा समाप्ति पैकेज, शेयर-लिंक्ड साधन जैसे कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी), पेंशन योजना, ग्रैच्युटी(उपदान) आदि।

(2) <u>दिशानिर्देश 2: नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)</u>

बैंक के बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी), निदेशक मंडल की ओर से बैंक की पारिश्रमिक नीति के निर्माण, समीक्षा और कार्यान्वयन की देखरेख करेगी। पारिश्रमिक और जोखिमों के बीच प्रभावी संरेखण प्राप्त करने के लिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी), आरएमसीबी के साथ निकट समन्वय में कार्य करेगी। नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) यह भी सुनिश्चित करेगी कि के बैंक का लागत/आय अनुपात सुदृढ़ पूंजी पर्याप्तता अनुपात के रखरखाव के अनुरूप पारिश्रमिक पैकेज का समर्थन करे।

(3) <u>दिशानिर्देश 3: पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी)/एमडी और सीईओ/एमआरटी के लिए</u>

डब्ल्यूटीडी/एमडी और सीईओ/एमआरटी के लिए बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि:

(i) पारिश्रमिक सभी प्रकार के जोखिमों के लिए समायोजित हो

(ii) पारिश्रमिक के परिणाम जोखिम के परिणामों के साथ सममित हों

(iii) पारिश्रमिक का भुगतान जोखिमों की समय-सीमा के प्रति संवेदनशील हो, और

(iv) नकद, इक्विटी और पारिश्रमिक के अन्य रूपों का मिश्रण जोखिम के अनुरूप हो।

जोखिम समायोजन के कार्यान्वयन में के बैंक द्वारा साख, बाजार, तरलता और विभिन्न अन्य जोखिमों के माप के व्यापक उपायों का उपयोग किया जाएगा। जोखिम समायोजन की विधियों में मात्रात्मक (quantitative) और निर्णयात्मक (judgmental) दोनों तत्व होने चाहिए। पारिश्रमिक सभी वैधानिक आवश्यकताओं का भी अनुपालन करेगा।

बैंक के पूर्णकालिक निदेशक/एमडी और सीईओ/सीईओ/एमआरटी के लिए पारिश्रमिक संरचना निम्नानुसार होगी:

(i) स्थिर वेतन और परिलब्धियां: बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि पारिश्रमिक का स्थिर हिस्सा उचित हो, जिसमें वैधानिक आवश्यकताओं और उद्योग के अभ्यास के पालन सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाए। पारिश्रमिक की सभी स्थिर मदें,

जिनमें परिलब्धियां भी शामिल हैं, को स्थिर वेतन का हिस्सा माना जाएगा। यह ध्यान दिया जाए कि प्रतिपूर्ति योग्य वाली सभी सुविधाओं को भी स्थिर वेतन में शामिल किया जाएगा, बशर्ते इन प्रतिपूर्ति योग्य पर मौद्रिक सीमाएँ हों। सेवानवृत्ति/सेवानिवृत्ति लाभों की ओर किए गए अंशदान को स्थिर वेतन का हिस्सा माना जाएगा।

(ii) परिवर्तनीय वेतन:

(ए) परिवर्तनीय वेतन की संरचना: परिवर्तनीय वेतन शेयर-लिंक्ड साधनों [जिसमें कैश-लिंक्ड स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स शामिल हैं] के रूप में, या नकद और शेयर-लिंक्ड साधनों के मिश्रण के रूप में हो सकता है। परिवर्तनीय वेतन में नकद और शेयर-लिंक्ड घटकों के बीच उचित संतुलन होना चाहिए। केवल उन मामलों में जहाँ कानून/विनियमों द्वारा शेयर-लिंक्ड साधनों के माध्यम से पारिश्रमिक की अनुमति नहीं है, पूरा परिवर्तनीय वेतन नकद में हो सकता है।

(बी) परिवर्तनीय वेतन की सीमा: यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्थिर वेतन और परिवर्तनीय वेतन के बीच उचित संतुलन हो। इस संबंध में, बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा:

i. एफएसबी कार्यान्वयन मानकों, इस उप-पैरा के उप-बिंदु (iv) और पैरा 56(i) में प्रदान की गई बीसीबीएस व्यवस्था के अनुसार, पारिश्रमिक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थात कम से कम 50 प्रतिशत, परिवर्तनीय होना चाहिए और इसे व्यक्तिगत, व्यापार-इकाई और फर्म-व्यापी मापदंडों के आधार पर भुगतान किया जाना चाहिए जो प्रदर्शन को पर्याप्त रूप से मापते हैं, सिवाय उन मामलों के जो इस उप-पैरा के उप-बिंदु (iii) और दिशा-निर्देश (4) में उल्लिखित हैं। उच्चतर उत्तरदायित्व के स्तरों पर, परिवर्तनीय वेतन का अनुपात अधिक होना चाहिए। कुल परिवर्तनीय वेतन स्थिर वेतन का अधिकतम 300 प्रतिशत तक सीमित होगा (सापेक्ष प्रदर्शन मापन अवधि के लिए)।

ii. यदि परिवर्तनीय वेतन स्थिर वेतन का 200 प्रतिशत तक है, तो परिवर्तनीय वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत; और यदि परिवर्तनीय वेतन 200 प्रतिशत

से अधिक है, तो परिवर्तनीय वेतन का कम से कम 67 प्रतिशत गैर-नकद साधनों के माध्यम से होना चाहिए।

iii. यदि किसी कार्यकारी को कानून या विनियम द्वारा शेयर-लिंक्ड साधन प्रदान करने से रोका गया है, तो उनका परिवर्तनीय वेतन स्थिर वेतन के 150 प्रतिशत तक सीमित होगा, लेकिन यह स्थिर वेतन के 50 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

iv. बैंक के वित्तीय प्रदर्शन में गिरावट आने से सामान्यतः कुल परिवर्तनीय पारिश्रमिक की राशि में संकुचन होगा, जिसे शून्य तक भी कम किया जा सकता है।

(सी) परिवर्तनीय वेतन के लिए आस्थगन व्यवस्था:

i. वरिष्ठ कार्यकारियों, जिनमें पूर्णकालिक निदेशक शामिल हैं, और अन्य कर्मचारियों जो एमआरटी हैं (नीचे दिशा-निर्देश (6) देखें), के लिए, एफएसबी कार्यान्वयन मानकों का पालन करते हुए, वेतन की मात्रा की परवाह किए बिना परिवर्तनीय वेतन के लिए विलंब व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। बैंक कार्यकारियों के लिए, कुल परिवर्तनीय वेतन का कम से कम 60 प्रतिशत विलंब व्यवस्था के अधीन होगा। इसके अतिरिक्त, यदि नकद घटक परिवर्तनीय वेतन का हिस्सा है, तो नकद बोनस का कम से कम 50 प्रतिशत भी आस्थगित किया जाएगा।

ii. हालाँकि, उन मामलों में जहाँ परिवर्तनीय वेतन का नकद घटक 25 लाख रुपये से कम है, विलंब की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

(डी) विलंब व्यवस्था की अवधि: विलंब की अवधि कम से कम तीन वर्ष होगी। यह परिवर्तनीय वेतन के नकद और गैर-नकद दोनों घटकों पर लागू होगी।

(ई) हकदारी(वेस्टिंग): आस्थगित पारिश्रमिक या तो विलंब अवधि के अंत में पूरी तरह से वेस्टेड होगा या विलंब अवधि के दौरान फैलाया जाएगा। पहली ऐसी वेस्टिंग विलंब अवधि की शुरुआत से एक वर्ष से पहले नहीं होगी। वेस्टिंग संचयी आधार पर प्राप्त समानुपातिक से तेज नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, एक्स-पोस्ट समायोजन लागू करने से पहले जोखिमों का उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए वेस्टिंग सालाना से अधिक बार नहीं होगी।

*स्पष्टीकरण:* 'समानुपातिक आधार से तेज नहीं' का अर्थ है कि वेस्टिंग को अग्रिम नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि विलंब व्यवस्था तीन वर्ष की है, तो पहले वर्ष के अंत में कुल प्रदत्त ईएसओपी का 33.33 प्रतिशत से अधिक वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, दूसरे वर्ष के अंत में कुल प्रदत्त ईएसओपी का 66.67 प्रतिशत से अधिक वेस्ट नहीं होना चाहिए।

(एफ) शेयर-लिंक्ड साधन: ऐसे साधनों को परिवर्तनीय वेतन के एक घटक के रूप में शामिल किया जाएगा। शेयर-लिंक्ड साधनों के प्रदान करने के लिए मानदंड बैंक द्वारा प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप तैयार किए जाएंगे और बैंक की पारिश्रमिक नीति का हिस्सा होने चाहिए। प्रदत्त शेयर-लिंक्ड साधनों का विवरण 'भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक: वित्तीय विवरण – प्रस्तुतीकरण एवं प्रकटीकरण) निदेश, 2025' में निर्दिष्ट प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुसार प्रकट किया जाएगा। शेयर-लिंक्ड साधनों का उचित मूल्य बैंक द्वारा प्रदान की गई तारीख को ब्लैक-स्कोल्स मॉडल का उपयोग करके निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त उचित मूल्य को उस लेखांकन अवधि से शुरू करके व्यय के रूप में मान्यता दी जाएगी जिसके लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।

(जी) दंडात्मक/वसूली प्रावधान(मैलस/क्लॉबैक)

i. यदि किसी वर्ष में बैंक और/या संबंधित व्यापार लाइन का वित्तीय प्रदर्शन मंद या नकारात्मक रहता है, तो आस्थगित पारिश्रमिक मैलस/क्लॉबैक प्रावधान व्यवस्थाओं के अधीन होगा।

ii. बैंक को परिवर्तनीय वेतन के संबंध में मैलस/क्लॉबैक तंत्र को शामिल करने के लिए उपयुक्त प्रक्रियाएं स्थापित करनी चाहिए, जिसमें दुर्व्यवहार जोखिम का निराकरण करने के लिए मार्च 2018 में एफएसबी द्वारा जारी पूरक मार्गदर्शन (Supplementary Guidance) और सभी प्रासंगिक सांविधिक और विनियामक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा जाए। बैंक को अपनी पारिश्रमिक नीतियों में स्थितियों का एक प्रतिनिधि सेट पहचानना चाहिए, जो मैलस और क्लॉबैक वसूली खंडों को लागू करने की आवश्यकता उत्पन्न करता है जो पूरे परिवर्तनीय वेतन पर लागू हो सकते हैं। मैलस/क्लॉबैक के अनुप्रयोग के लिए मानदंड निर्धारित करते समय, बैंक को उस अवधि को भी निर्दिष्ट करना चाहिए जिसके दौरान मैलस और या क्लॉबैक लागू किया

जा सकता है, जिसमें कम से कम विलंब और प्रतिधारण अवधियां शामिल हों।

iii. जब भी भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक: वित्तीय विवरण – प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण) निदेश, 2025 के तहत सार्वजनिक रूप से जानकारी देने के लिए निर्धारित सीमा से अधिक, अनर्जक आस्तियां या आस्ति वर्गीकरण के लिए बैंक की प्रावधानीकरण में अंतर पाया जाता है, तो बैंक उस मूल्याँकन वर्ष के लिए 'मैलस' खंड के तहत परिवर्तनीय मुआवजे के अप्रतिभूत हिस्से का भुगतान नहीं करेगा। इसके अलावा, ऐसी स्थितियों में, मूल्याँकन वर्ष के लिए परिवर्तनीय वेतन में वृद्धि का कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि मूल्यांकन के बाद बैंक का सकल एनपीए 2.0 प्रतिशत से कम है, तो ये प्रतिबंध केवल तभी लागू होंगे जब प्रावधानीकरण में अंतर की वजह से, या प्रावधानीकरण और आस्ति वर्गीकरण दोनों में अंतर की वजह से सार्वजनिक रूप से जानकारी देने की शर्तें लागू होती हों।

(एच) गारंटीकृत बोनस: गारंटीकृत बोनस सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन या 'कार्यनिष्पादन के लिए भुगतान' के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है और यह पारिश्रमिक योजना का हिस्सा नहीं होगा। इसलिए, गारंटीकृत बोनस केवल नए स्टाफ को काम पर रखने के संदर्भ में कार्यग्रहण/साइन-ऑन बोनस के रूप में होगा और यह केवल पहले वर्ष तक सीमित होगा। इसके अतिरिक्त, कार्यग्रहण/साइन-ऑन बोनस केवल शेयर-लिंक्ड साधनों के रूप में होगा, क्योंकि नकद में अग्रिम भुगतान विपरीत प्रोत्साहन पैदा करेगा। ऐसा बोनस न तो स्थिर वेतन का हिस्सा माना जाएगा और न ही परिवर्तनीय वेतन का। इसके अतिरिक्त, बैंक संचित लाभ (ग्रेच्युटी, पेंशन आदि) के अलावा सेवा समाप्ति भुगतान प्रदान नहीं करेगा, सिवाय उन मामलों के जहाँ यह किसी कानून के तहत अनिवार्य है।

(आई) हेजिंग: बैंक कर्मचारियों को अपने पारिश्रमिक संरचना को बीमा करने या हेज करने की अनुमति नहीं देगा ताकि उनकी पारिश्रमिक व्यवस्था में निहित जोखिम संरेखण प्रभावों को समायोजित किया जा सके। इसे लागू करने के लिए, बैंक को उपयुक्त अनुपालन व्यवस्था स्थापित करनी होगी।

(4) दिशानिर्देश 4: जोखिम नियंत्रण और अनुपालन कर्मचारियों के लिए

वित्तीय और जोखिम नियंत्रण में नियोजित कर्मचारीगण, जिनमें आंतरिक लेखापरीक्षा के कर्मचारी भी शामिल हैं, का पारिश्रमिक इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए जो उनके द्वारा पर्यवेक्षित किए जाने वाले व्यापारिक क्षेत्रों से स्वतंत्र हो और बैंक में उनकी प्रमुख भूमिका के अनुरूप हो। प्रोत्साहन पारिश्रमिक पर वित्तीय और जोखिम प्रबंधन के प्रभाव की अखंडता बनाए रखने के लिए ऐसे कर्मचारीगण की प्रभावी स्वतंत्रता और उचित अधिकारिता आवश्यक है। बैक ऑफिस और जोखिम नियंत्रण में संलग्न कर्मचारी जोखिम मापदंडों की अखंडता सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यदि उनका स्वयं का पारिश्रमिक अल्पकालिक मापदंडों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, तो उनकी स्वतंत्रता समझौते में आ सकती है। यदि उनका पारिश्रमिक अत्यंत कम है, तो ऐसे कर्मचारीगण की गुणवत्ता उनके कार्यों के लिए अपर्याप्त हो सकती है और उनका अधिकार क्षेत्र कमजोर पड़ सकता है। नियंत्रण कार्य के कर्मचारीगण के लिए स्थिर और परिवर्तनशील पारिश्रमिक का मिश्रण स्थिर पारिश्रमिक के पक्ष में होना चाहिए। अतः, कुल पारिश्रमिक का न्यूनतम 50 प्रतिशत परिवर्तनशील वेतन के रूप में देने का आवश्यक मानदंड कर्मचारीगण की इस श्रेणी पर लागू नहीं होगा। हालांकि, पारिश्रमिक का एक उचित अनुपात परिवर्तनशील वेतन के रूप में होना चाहिए, ताकि जब आवश्यक हो, तो दण्डात्मक और/या वसूली के विकल्पों का प्रयोग व्यर्थ न हो जाए। उपर्युक्त के अधीन रहते हुए, ऐसे कर्मचारीगण के लिए पारिश्रमिक संरचना तैयार करते समय, बैंक को यथोचित, डब्ल्यूटीडी/ एमडी एवं सीईओ/ सीईओ के लिए प्रतिपादित सिद्धांतों के समान सिद्धांतों को अपनाना चाहिए।

(5) दिशानिर्देश 5: कर्मचारियों की अन्य श्रेणियों के लिए

यद्यपि ये दिशानिर्देश पूर्णकालिक निदेशक/एमडी और सीईओ/सीईओ/एमआरटी और नियंत्रण कार्य कर्मियों के अलावा बैंक के अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं, फिर भी बैंक उनके लिए भी, यथोचित संशोधनों सहित समान सिद्धांतों को अपना सकता है।

(6) दिशानिर्देश 6: बैंक के बड़े जोखिम लेने वालों (एमआरटी) की पहचान

बैंक को अपने उन एमआरटी की पहचान करनी होगी जिनकी कार्रवाई का बैंक के जोखिम एक्सपोजर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और जो निम्नलिखित गुणात्मक और किसी एक मात्रात्मक मानदंड को पूरा करते हैं:

(i) मानक गुणात्मक मानदंड: कर्मचारियों की भूमिका और निर्णय लेने की शक्ति से संबंधित (जैसे, वरिष्ठ प्रबंधक, प्रबंधन निकाय के सदस्य), जिनके पास संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से जोखिम एक्सपोजर को महत्वपूर्ण रूप से प्रतिबद्ध करने का अधिकार हो।

(ii) मानक मात्रात्मक मानदंड:

(ए) उनका कुल पारिश्रमिक एक निश्चित सीमा (threshold) से अधिक है जिसका निर्धारण बैंक द्वारा विवेकपूर्ण तरीके से किया जा सकता है; या

(बी) वे बैंक में सबसे अधिक पारिश्रमिक पाने वाले 0.3 प्रतिशत कर्मचारियों में शामिल हैं, या

(सी) उनका पारिश्रमिक वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य जोखिम लेने वालों के न्यूनतम कुल पारिश्रमिक के बराबर या उससे अधिक है।

जोखिम-समायोजित पारिश्रमिक की अपनी समझ को बढ़ाने के लिए बैंक, मई 2011 में प्रकाशित बीसीबीएस की रिपोर्ट 'पारिश्रमिक के जोखिम और कार्यनिष्पादन संरेखण हेतु पद्धतियों की श्रृंखला '(Range of Methodologies for Risk and Performance Alignment of Remuneration) का संदर्भ लें।

(7) दिशानिर्देश 7: प्रकटीकरण

बैंक को पूर्णकालिक निदेशक/एमडी और सीईओ/सीईओ/एमआरटी के पारिश्रमिक पर न्यूनतम, वार्षिक आधार पर प्रकटीकरण करना होगा। यह प्रकटीकरण उनके वार्षिक वित्तीय विवरणों में 'भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक: वित्तीय विवरण – प्रकटीकरण और प्रस्तुतीकरण) निदेश, 2025' में यथाविहित और समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(8) उपर्युक्त दिशानिर्देश मुआवजे के प्रभावी शासन के सिद्धांतों (दिशानिर्देश 1 और 2) और विवेकपूर्ण जोखिम लेने के साथ मुआवजे के प्रभावी संरेखण (दिशानिर्देश 3 से 7) को कवर करते हैं। नियामक और पर्यवेक्षी अनुमोदन/निरीक्षण के सिद्धांत के संबंध में, यह दोहराया जाता है कि:

उपरोक्त दिशानिर्देश पारिश्रमिक के प्रभावी अभिशासन (दिशा-निर्देश 1 और 2) और विवेकपूर्ण जोखिम लेने के साथ पारिश्रमिक के प्रभावी संरेखण (दिशा-निर्देश 3 से 7) के सिद्धांतों को कवर

करते हैं। विनियामक और पर्यवेक्षी अनुमोदन/ओवरसाइट के संदर्भ में यह पुनः स्मरण कराया जाता है कि:

(i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10(1)(बी)(iii) के तहत, कोई भी बैंकिंग कंपनी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगी या उसकी नियुक्ति जारी नहीं रखेगी जिसका पारिश्रमिक, आरबीआई की राय में, अत्यधिक हो।

(ii) भारत में संचालित किसी बैंक को पूर्णकालिक निदेशक/एमडी और सीईओ/सीईओ को पारिश्रमिक प्रदान करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी के तहत विनियामक अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है; और

(iii) बैंक की पारिश्रमिक नीति बासेल ढांचे के तहत समीक्षा सहित पर्यवेक्षी निगरानी के अधीन होगी। इस संबंध में पायी गई कमियों का प्रभाव बैंक के जोखिम प्रोफाइल को बढ़ाने का होगा, जिसके परिणामस्वरूप यदि कमियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता हो सकती है।

56. **पारिश्रमिक के जोखिम और कार्यनिष्पादन के साथ संरेखण हेतु बीसीबीएस पद्धतियाँ:** बीसीबीएस ने वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के परामर्श से मई 2011 में 'पारिश्रमिक के जोखिम और कार्यनिष्पादन संरेखण हेतु पद्धतियों की श्रृंखला' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। रिपोर्ट के मुख्य उद्देश्य हैं: (ए) उन कुछ पारिश्रमिक प्रथाओं और पद्धतियों को प्रस्तुत करना जो सही तौर-तरीके का समर्थन करती हैं; और (बी) जोखिम संरेखण की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले उन तत्वों को रेखांकित करना जिन्हें बैंकों द्वारा अपनी पद्धतियाँ विकसित करते समय तथा पर्यवेक्षकों द्वारा बैंकों की प्रथाओं की समीक्षा और आकलन करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए; जिनके अनुसार:

(i) बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि पारिश्रमिक का परिवर्तनशील भाग वास्तव में और प्रभावी रूप से से परिवर्तनशील हो और इसे एफएसबी द्वारा परिभाषित सममिति सिद्धांत के अनुरूप शून्य तक भी कम किया जा सके। बैंक यह प्रदर्शित करने में सक्षम होगा कि परिवर्तनशील पारिश्रमिक को जोखिम और प्रदर्शन के अनुरूप समायोजित करने के लिए अपनाई गई पद्धतियाँ उसकी विशिष्ट परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं।

(ii) बैंक द्वारा पारिश्रमिक को जोखिम और कार्यनिष्पादन के साथ संरेखित करने के लिए अपनाई गई पद्धतियाँ उसके सामान्य जोखिम प्रबंधन और कॉर्पोरेट सुशासन ढांचे के अनुरूप होंगी।

(iii) प्रदर्शन माप अवधि की शुरुआत में ही प्रदर्शन मापदंडों और पारिश्रमिक पैकेजों के साथ उनके संबंध को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक के कर्मचारी प्रोत्साहन तंत्र को समझ सकें। बोनस का सामान्य वार्षिक निर्धारण पूर्वज्ञात नियमों, प्रक्रियाओं और उद्देश्यों पर आधारित होगा, हालाँकि कुछ हद तक विवेकाधिकार बनाए रखा जा सकता है।

(iv) बैंक कर्मचारियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए वित्तीय और गैर-वित्तीय मापदंडों के संयोजन का उपयोग करेगा और प्रत्येक कर्मचारी की विशिष्ट स्थिति के अनुसार माप को अनुकूलित करेगा। गुणात्मक कारकों, यथा ज्ञान, कौशल और क्षमताओं पर भी विचार किया जा सकता है, विशेष रूप से जहाँ ये बैंक के जोखिम प्रबंधन लक्ष्यों को सुदृढ़ करने में सहायक हों।

(v) पारिश्रमिक में जोखिम समायोजन की प्रकृति और सीमा इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रदर्शन मापदंड जोखिमों को किस हद तक समाहित करते हैं। सभी मामलों में, जोखिम समायोजन किया जाएगा, यह देखते हुए कि पारिश्रमिक अक्सर किसी गतिविधि के अंतिम परिणाम ज्ञात होने से पहले प्रदान किया जाता है। बैंक को जोखिमों का पूर्व-आकलन करना चाहिए और परिणामों की उत्तर-निगरानी करनी चाहिए, जिन दोनों का अंतिम भुगतानों पर प्रभाव पड़ेगा।

(vi) जोखिम समायोजन में शामिल जोखिमों की प्रकृति और उन समय-सीमाओं को ध्यान में रखा जाएगा जिनके दौरान वे उभर सकते हैं। पारिश्रमिक समायोजन का प्रभाव कर्मचारियों और/या व्यापार इकाइयों द्वारा की गई कार्रवाइयों और बैंक द्वारा ली गई जोखिम की मात्रा पर उनके प्रभाव से जोड़ा जाएगा।

(vii) बैंक को पुरस्कार प्रक्रिया की प्रकृति का सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए, जो प्रत्येक व्यक्तिगत कर्मचारी के चर पारिश्रमिक को बोनस पूल और बैंक के स्तर पर परिवर्तनीय पारिश्रमिक की कुल राशि से जोड़ती है, क्योंकि यह सीधे तौर पर इस बात को प्रभावित करता है कि प्रदर्शन और जोखिम समायोजन का उपयोग कैसे और कब किया जाता है या किया जा सकता है।

## अध्याय X - विनियामकीय अनुमोदन और रिपोर्टिंग

57. बैंक को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रवाह पोर्टल (https://pravaah.rbi.org.in) के माध्यम से संबंधित जानकारी और दस्तावेज जमा करके आरबीआई का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा:

(i) एमडी और सीईओ या किसी अन्य निदेशक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति या नियुक्ति की समाप्ति या पारिश्रमिक से संबंधित किसी प्रावधान में संशोधन – अनुलग्नक III में फॉर्म 'ए'।

(ii) अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक या एमडी और सीईओ (किसी भी नाम से पुकारा जाएं) की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति – अनुलग्नक IV में फॉर्म 'बी', उम्मीदवार(ओं) से 'घोषणा और वचनपत्र' के साथ, और नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की टिप्पणियां कि उसने स्वयं को इस बात से संतुष्ट कर लिया है कि दी गई सूचना सत्य और पूर्ण है।

*बशर्ते कि,*

(ए) नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति का प्रस्ताव अनिवार्य रूप से वरीयता के क्रम में कम से कम दो नामों का पैनल शामिल करेगा और वर्तमान पदाधिकारी के कार्यकाल की समाप्ति से कम से कम चार महीने पहले आरबीआई को प्रस्तुत किया जाएगा।

(बी) एमडी और सीईओ की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव पदाधिकारी के कार्यकाल की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले आरबीआई को प्रस्तुत किया जाएगा।

58. बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी के तहत पूर्णकालिक निदेशकों / प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पारिश्रमिक (अर्थात पारिश्रमिक) प्रदान करने के लिए नियामक अनुमोदन प्राप्त करना होगा। इस उद्देश्य के लिए, बैंक को अनुलग्नक V में निर्धारित प्रारूप में प्रवाह पोर्टल (https://pravaah.rbi.org.in) के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

*बशर्ते कि*

अनुमोदन प्रक्रिया में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह आकलन शामिल होगा कि क्या बैंक की पारिश्रमिक नीतियां और प्रथाएं इन निर्देशों के पैरा 55 और पैरा 56 में क्रमशः निर्धारित या विस्तृत दिशानिर्देशों और बीसीबीएस पद्धतियों के अनुरूप हैं।

59. बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10बी(1ए)(i) और 35बी के तहत अंशकालिक अध्यक्ष को पारिश्रमिक देने के संबंध में प्रवाह पोर्टल (https://pravaah.rbi.org.in) के माध्यम से नियामक अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

60. बोर्ड की संरचना में कोई भी परिवर्तन होने पर उसे यथासमय विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक को अनुलग्नक VI में दिए गए प्रारूप में सूचित किया जाएगा।

61. बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10बी (8) के तहत एमडी और सीईओ की अतिरिक्त भूमिकाओं या जिम्मेदारियों के संबंध में प्रवाह पोर्टल (https://pravaah.rbi.org.in) के माध्यम से विनियामक अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

62. कोई भी बैंक जो अपने संस्था के अंतर्नियम में संशोधन का प्रस्ताव रखता है, उसे अपने शेयरधारकों को संशोधन का मसौदा वितरित करने या इस संबंध में शेयरधारकों की बैठक बुलाने से पहले, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी के तहत ऐसे संशोधन के लिए प्रवाह पोर्टल (https://pravaah.rbi.org.in) के माध्यम से पूर्व नियामक  अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

## अध्याय-XI निरसन और अन्य प्रावधान

### ए. निरसन और व्यावृत्ति

63. इन निदेशों के जारी होने के साथ, लघु वित्त बैंकों पर लागू अभिशासन से संबंधित मौजूदा सभी निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त हो जाते हैं जैसा कि परिपत्र डीओआर.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2025 द्वारा सूचित किया गया था। इन निदेशों के जारी होने से पूर्व निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशा-निर्देश निरस्त ही बने रहेंगे।

64. इस निरसन के बावजूद, निरस्त किए गए निदेशों, अनुदेशों और दिशा-निर्देशों के तहत की गई या की जाने की प्रक्रिया में की गई किसी भी कार्रवाई को उन्हीं प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। निरस्त सूचियों के तहत प्रदान की गई सभी मंजूरियां या स्वीकृतियां इन निदेशों द्वारा नियंत्रित मानी जाएंगी। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों अथवा दिशा-निर्देशों के निरसन का प्रभाव निम्नलिखित पर प्रतिकूल रूप से नहीं पड़ेगा:

(i) इसके तहत अर्जित, प्राप्त या उत्पन्न कोई अधिकार, दायित्व या देयता।

(ii) इसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में लगाया गया कोई जुर्माना, जब्ती या दंड।

(iii) उपरोक्तानुसार किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, जुर्माने, जब्ती या दंड के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार; और ऐसी किसी भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार को इस प्रकार आरंभ किया, जारी रखा या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई जुर्माना, जब्ती या दंड इस प्रकार लगाया जा सकता है मानो उन निदेशों, अनुदेशों या दिशा-निर्देशों को निरस्त नहीं किया गया हो।

### बी. अन्य कानूनों के प्रयोग पर रोक नहीं

65. इन निदेशों के प्रावधान किसी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों या निदेशों के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

## सी. व्याख्याएँ

66. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने या उनके अनुप्रयोग या व्याख्या में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, यदि आरबीआई आवश्यक समझता है, तो वह किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की आरबीआई द्वारा दी गई व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(मनोरंजन पाढ़ी)
मुख्य महाप्रबंधक

**अनुलग्नक I**

**बैंक का नाम: ..........................................................................................**

**प्रस्तावित निदेशक / एमडी और सीईओ द्वारा 'घोषणा और वचनपत्र'(उचित संलग्नकों सहित)**

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>विवरण</th><th colspan="3">प्रकट जानकारी</th></tr>
<tr><td colspan="5">I. व्यक्तिगत विवरण</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>पूर्ण नाम</td><td>प्रथम नाम</td><td>मध्य नाम</td><td>अंतिम नाम</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>पिता का नाम</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>लिंग (पुरुष/महिला/अन्य)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>वर्तमान पता</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>ई-मेल पता और वैकल्पिक ई-मेल पता:<br>एसटीडी कोड सहित टेलीफोन:<br>मोबाइल नंबर:</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>राष्ट्रीयता</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>जन्म तिथि (dd/mm/yyyy) और आयु</td><td colspan="3">--/--/---- आयु: ___ वर्ष ___ माह</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>शैक्षणिक योग्यता</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>निदेशक पहचान संख्या</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>आधार संख्या (वैकल्पिक)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>ए) स्थायी खाता संख्या (पैन) नंबर:<br>बी) प्रभार जहां प्रस्तावित निदेशक का कर के लिए मूल्यांकन किया गया था(आयकर अधिकार क्षेत्र)/ आयकर वार्ड/सर्कल का नाम व पता<br>सी) विगत 3 वर्षों का रिटर्न फाइल करने और कर भुगतान का विवरण</td><td colspan="3"><table><tr><th>रिटर्न फाइल करने कि तारीख</th><th>भुगतान की गई कर राशि (भारतीय रुपए में)</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>12.</td><td>स्थायी पता</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | एक या एक से अधिक विषयों, यथा लेखांकन, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, विधि, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान और निपटान प्रणालियां, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन, व्यापार प्रबंधन अथवा किसी अन्य ऐसे विषय जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंकिंग कंपनी के लिए उपयोगी हो, के संबंध में प्रासंगिक ज्ञान या अनुभव पर एक संक्षिप्त विवरण के रूप में विवरण। | | | | |
| 14. | वर्तमान व्यवसाय (पदनाम, संगठन का नाम, और अनुभव पर संक्षिप्त विवरण) | | | | |
| 15. | पिछले दस वर्षों की अवधि को कवर करने वाला पूर्व व्यवसाय, जिसमें कार्य किए गए संगठन(ओं) का पूरा पता, शामिल होने की तारीख, कार्यमुक्त होने की तारीख (कारणों सहित), पदनाम आदि शामिल हों। | | | | |
| 16. | यदि आवेदक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो कृपया निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:<br>ए) भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) की सदस्यता संख्या:<br>बी) ICAI में पंजीकरण की तारीख:<br>सी) पंजीकृत फर्म(ओं) का नाम और पता:<br>डी) वर्तमान में फर्म(ओं) द्वारा या आप द्वारा किए जा रहे लेखा परीक्षा(ओं) का विवरण: | | | | |
| 17. | बैंक व शाखा का नाम और खाता संख्या (बचत/चालू/ऋण खाता) जहां प्राथमिक | बैंक का नाम | शाखा | खाते का प्रकार | खाता संख्या |

| | | |
|---|---|---|
| | रूप से आप खाताधारक हैं। | |
| 18. | यदि आप, आपके जीवनसाथी और आपके नाबालिग बच्चे द्वारा किसी संस्था में शेयरधारण (भौतिक या डिमटेरियलाइज्ड/इलेक्ट्रॉनिक रूप में) की गई है, तो उसका विवरण प्रदान करें। (कृपया डिमैट/शेयरधारण प्रमाणपत्र संलग्न करें)। | |
| 19. | बैंक में निदेशक पद से संबंधित कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी | |
| **II. प्रस्तावित निदेशक के प्रासंगिक संबंध** | | |
| 20. | किसी भी बैंक से संबंधित रिश्तेदारों की सूची (यदि कोई हो), [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) और कंपनी (परिभाषाओं का विनिर्देशन) नियम, 2014 के नियम 4 का संदर्भ लें]: | |
| 21. | उन संस्थाओं की सूची जिनमें:<br><br>ए) हितबद्धता है [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें]:<br><br>बी) लाभांशिक स्वामित्व है [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के लागू लाभांशिक स्वामित्व नियमों का संदर्भ लें]:<br><br>सी) न्यासी हैं (न्यास के संबंध में किसी अन्य संबंध का भी उल्लेख करें): | |
| 22. | बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(एनई) के अर्थ के तहत जिन संस्थाओं (वर्तमान और प्रस्तावित) में | कंपनी/फर्म का नाम<br>कंपनी किस देश में निगमित है<br>शेयरों की संख्या |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | महत्वपूर्ण हित धारित किया गया है, उनकी सूची। | प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य | |
| | | शेयरधारिता का कुल अंकित मूल्य | |
| | | कुल चुकता पूंजी के प्रतिशत के रूप में शेयरधारिता | |
| | | लाभांकित ब्याज(मूल्य एवं प्रतिशत दोनों रूप में) | |
| | | क्या संस्था कंपनी अधिनयम, 2013 की धारा 3 के अंतर्गत है | |

[1]'महत्वपूर्ण हित' का अर्थ है: (i) किसी कंपनी के संबंध में, किसी व्यक्ति द्वारा अथवा उसके पति/पत्नी या नाबालिग बच्चे द्वारा, अकेले या संयुक्त रूप से, के शेयरों में धारित ऐसा लाभकारी हित, जिस पर संदत्त राशि दो करोड़ रुपये या केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की गई किसी अन्य राशि, अथवा कंपनी की संदत्त पूंजी का दस प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक हो;
(ii) किसी फर्म के संबंध में, किसी व्यक्ति द्वारा अथवा उसके पति/पत्नी या नाबालिग बच्चे द्वारा, अकेले या संयुक्त रूप से, उस फर्म में धारित ऐसा लाभकारी हित, जो उक्त फर्म के सभी साझेदारों द्वारा अभिदत्त कुल पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक हो।

| क्र.सं. | विवरण | प्रकट जानकारी |
|---|---|---|
| 23. | भारत में व्यापार का स्थान रखने वाली विदेशी संस्थाओं में धारिता का विवरण। | |
| 24. | बैंक/गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी/किसी अन्य कंपनी का नाम, जिसमें वर्तमान में या भूतकाल में बोर्डके सदस्य/सलाहकार आदि के रूप में सेवा की गई है (उस अवधि का विवरण देते हुए जिसके दौरान ऐसा पद धारण किया गया है/किया जा रहा है)। | |
| 25. | यदि कोई व्यक्ति किस्तों पर खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टा और अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियां करने वाली किसी संस्था से जुड़ा है (संबद्धता की प्रकृति का उल्लेख किया जाए), तो उसका विवरण। | |

| | | |
|---|---|---|
| 26. | यदि कोई व्यक्ति स्टॉक ब्रोकर है या शेयर ब्रोकरेज गतिविधियों में संलग्न किसी संस्था से जुड़ा है, तो उसका विवरण। | |
| 27. | उपर्युक्त बिंदु (21) से (26) में सूचीबद्ध व्यक्तियों और/अथवा संस्थाओं द्वारा वर्तमान में यदि कोई फंड-आधारित अथवा नॉन-फंड-आधारित सुविधाएं ली गई हैं, तो उनका विवरण। | |
| 28. | यदि उपर्युक्त बिंदु (21) से (26) में सूचीबद्ध किसी व्यक्ति या संस्था ने बैंक/एनबीएफसी/किसी अन्य ऋण संस्थान से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में अतीत में चूक की है या उन्हें 'इरादतन चूककर्ता घोषित किया गया है, तो ऐसे मामलों का विवरण। | |
| **क्र.सं.** | **विवरण** | **प्रकट जानकारी** |
| **III. व्यावसायिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड** | | |
| 29. | निदेशक पद के लिए प्रासंगिक व्यावसायिक उपलब्धियां | |
| 30. | ए) यदि किसी व्यावसायिक संघ/निकाय के सदस्य के रूप में, अतीत में कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है, प्रारंभ की गई है या जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि हुई है, अथवा क्या किसी समय किसी व्यावसाय/व्यवसाय में प्रवेश से प्रतिबंधित किया गया है, तो उसका विवरण। | |
| | बी) यदि व्यक्तिगत व्यावसायिक आचरण या गतिविधियों के संबंध में कोई लिखित शिकायत या आरोप का विषय रहा है, तो उसका विवरण। | |

| | | |
|---|---|---|
| 31. | आर्थिक कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के लिए स्वयं या उपर्युक्त बिंदु (21) से (26) में सूचीबद्ध संस्थाओं के विरुद्ध यदि कोई अभियोजन लंबित है, प्रारंभ किया गया है या जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि हुई है, तो उसका विवरण। | |
| 32. | यदि कोई आपराधिक अभियोजन लंबित है, प्रारंभ किया गया है, या जिसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि हुई है, तो उसका विवरण। | |
| 33. | यदि धन शोधन निवारण अथवा आतंकवादी वित्तपोषण संबंधी दिशा-निर्देशों के किसी भी उल्लंघन में लिप्त पाए गए हैं, तो उसका विवरण दें। | |
| 34. | यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत प्रस्तावित किसी भी निरर्हता को आकर्षित करते हैं, तो उसका विवरण दें। | |
| 35. | यदि व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया गया है, अथवा उसने भुगतान निलंबित किया है, अथवा लेनदारों के साथ समझौता किया है, तो उसका विवरण दें। | |

| क्र.सं. | विवरण | प्रकट जानकारी |
|---|---|---|
| 36. | यदि व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, तो उसका विवरण दें। | |
| 37. | ए) यदि किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो या अन्यथा, तो उसका विवरण दें। | |
| | बी) यदि किसी भी विधि न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है, तो उसका विवरण दें। | |
| 38. | यदि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक में लाभ का कोई पद धारण किया गया है (पूर्णकालिक निदेशक के पद को छोड़कर), तो उसका विवरण दें। | |
| 39. | यदि व्यक्ति के रूप में अथवा उपरोक्त बिंदु (21) से (26) में वर्णित किसी इकाई द्वारा किसी पूर्व नियोक्ता, सरकारी विभाग या एजेंसी द्वारा किसी जांच/सतर्कता/जांच के मामलों का सामना किया गया है, तो उसका विवरण दें। | |
| 40. | यदि सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/आय कर/ विदेशी मुद्रा/अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/ विनियमों/ विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, तो उसका विवरण दें। | |

| | | |
|---|---|---|
| 41. | यदि पेशेवर आचरण या गतिविधियों के कारण किसी नियामक जैसे सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए आदि, किसी पेशेवर संगठन, सरकारी एजेंसी या न्यायालय द्वारा अनुशासित, भर्त्सना, प्रतिबंधित, निलंबित, वंचित, बाधित या अन्यथा दंडित किया गया है, तो उसका विवरण दें।<br><br>*(यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि उम्मीदवार उन आदेशों और निष्कर्षों का उल्लेख करे जिन्हें बाद में पूर्णतः रद्द/निरस्त कर दिया गया है, फिर भी यदि ऐसा रद्द करना/निरस्त करना तकनीकी कारणों जैसे सीमावधि या अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर हुआ हो और गुण-दोष के आधार पर नहीं, तो उसका उल्लेख करना आवश्यक होगा। यदि आदेश अस्थायी रूप से स्थगित है और अपीलीय/न्यायालयीन कार्यवाही लंबित है, तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए).* | |
| **V. सामान्य जानकारी** | | |
| 42. | यदि व्यक्ति कोई पेशेवर जैसे सनदी लेखाकार, अधिवक्ता आदि है और वर्तमान में किसी बैंक में कोई पेशेवर कार्य कर रहा है अथवा कर चुका है, तो बैंक का नाम और बैंक के साथ संबंध की अवधि सहित उसका विवरण प्रदान करें। | |

| | | |
|---|---|---|
| 43. | यदि व्यक्ति वर्तमान में सांसद (सांसद)/विधायक (विधायक)/विधान पार्षद (विधायक परिषद सदस्य) है अथवा नगर निगम, नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों में कोई राजनीतिक पद धारण करता है, तो उसका विवरण प्रदान करें। | |
| VI. प्रकटीकरण और पारदर्शिता के हित में, **यदि 'उपयुक्त और उचित) का आकलन करने के लिए कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी हो, तो उसका विवरण प्रदान करें।** | | |
| | **वचन पत्र** | |
| मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि उपर्युक्त जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है। मैं यह वचन देता/देती हूँ कि मैं अपनी नियुक्ति के पश्चात घटित होने वाली सभी ऐसी घटनाओं की, जो उपर्युक्त प्रदान की गई जानकारी से संबंधित हैं, यथाशीघ्र बैंक को पूर्णतः सूचित करता/करती रहूँगा/रहूँगी।<br>मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि मैं बैंक के साथ निष्पादित किये जाने की अपेक्षा वाले 'प्रसंविदा विलेख(डीड ऑफ कोवनेंट)' का निष्पादन करूँगा/करूँगी। | | |
| **क्र.सं.** | **विवरण** | **प्रकट जानकारी** |
| | स्थान: | प्रस्तावित निदेशक/एमडी एवं सीईओ के हस्ताक्षर |
| | तारीख: | |
| | | |
| | नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की टिप्पणियाँ कि उपरोक्त जानकारी सत्य एवं पूर्ण होने से समिति संतुष्ट है।" | |
| | | |
| | स्थान: | एनआरसी के अध्यक्ष का हस्ताक्षर |
| | तारीख: | एनआरसी के अध्यक्ष का नाम |

**अनुलग्नक-II**

## बैंक के निदेशक के साथ वचनबंध पत्र का प्रारूप

यह प्रसंविदा विलेख (डीड ऑफ कोवनेंट्स) दिनांक..............., दो हज़ार *को* ..................................... के बीच संपादित किया गया, जिसका पंजीकृत कार्यालय .................................पर स्थित है (जिसे इसके पश्चात 'बैंक' कहा जाएगा), एक पक्ष के रूप में और श्री/श्रीमती *, निवासी* .......................... (जिसे इसके पश्चात 'निदेशक' कहा जाएगा), दूसरे पक्ष के रूप में के मध्य बनाया गया है।

जबकि:

ए. निदेशक को बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके पश्चात 'बोर्ड' कहा जाएगा) में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और उनकी नियुक्ति की शर्त के रूप में बैंक के साथ प्रसंविदा विलेख निष्पादित करना आवश्यक है।

बी. निदेशक ने इस वचनबंध पत्र में प्रवेश करने के लिए सहमति दी है, जिसे उनकी उक्त नियुक्ति की शर्तों के अनुपालन में बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अतः एतद्द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है और यह प्रसंविदा विलेख निम्नलिखित का साक्ष्य देता है:

1. निदेशक यह स्वीकार करता/करती है कि बैंक के बोर्ड में उनका निदेशक के रूप में नियुक्त होना लागू कानूनों और विनियमों, जिनमें बैंक के ज्ञापन और अंतर्नियम (मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) और इस प्रसंविदा विलेख के प्रावधान शामिल हैं, के अधीन है।

2. निदेशक बैंक के साथ यह वचन देता/देती है कि:

   (i) बोर्डको अपने हित की प्रकृति, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, को प्रकट करेगा/करेगी, यदि उसका बैंक और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किए गए या किए जाने वाले किसी अनुबंध या व्यवस्था, अथवा किसी प्रस्तावित अनुबंध या व्यवस्था में कोई हित है या वह उससे संबंधित है। यह प्रकटन तत्काल किया जाएगा जब उसे इसकी जानकारी हो जाए, अथवा उस बोर्ड की बैठक में की जाए जिसमें ऐसे अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा हो। यदि निदेशक उस बैठक की तारीख को ऐसे प्रस्तावित अनुबंध या व्यवस्था में संबंधित या हितबद्ध नहीं था/थी, तो यह प्रकटन उसके बाद आयोजित बोर्ड की पहली बैठक में किया जाएगा जब वह ऐसे संबंध या हित में आ जाए। किसी अन्य अनुबंध या व्यवस्था के मामले में, अपेक्षित प्रकटन बोर्ड की उस पहली बैठक में किया जाएगा जो निदेशक के उस अनुबंध या व्यवस्था में संबंधित या हितबद्ध होने के बाद आयोजित की जाए।

(ii) निदेशक एक सामान्य सूचना के माध्यम से बोर्ड को अपनी अन्य निदेशक पदों, निगमित निकायों में अपनी सदस्यता, अन्य इकाइयों में अपने हित, और फर्मों में साझेदार या एकल स्वामित्व वाले के रूप में अपने हित का प्रकटन करेगा/करेगी और इनमें होने वाले सभी परिवर्तनों से बोर्ड को अवगत कराता/कराती रहेगा/रहेगी।

(iii) निदेशक, बैंक को अपने संबंधियों की सूची प्रदान करेगा/करेगी, जिनके अन्य निगमित निकायों, फर्मों और अन्य इकाइयों में निदेशक पद और हितों की जानकारी निदेशक को है।

(iv) निदेशक, बैंक के निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय:

(ए) ऐसे कौशल का प्रयोग करेगा/करेगी जैसा कि उसके ज्ञान या अनुभव वाले व्यक्ति से उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है;
(बी) अपने कर्तव्यों के निर्वहन में ऐसी सावधानी बरतेगा/बरतेगी जैसी कि उचित रूप से उसके अपने हित में अपेक्षा की जा सकती है और बैंक के हित में सद्भावना के साथ उसे निहित किसी भी शक्ति का प्रयोग करेगा/करेगी;
(सी) बैंक की व्यापारिक गतिविधियों और वित्तीय स्थिति के बारे में स्वयं को उतनी सीमा तक सूचित रखेगा/रखेगी जितनी कि उसे प्रकट की गई है;
(डी) बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों में (संक्षिप्तता के लिए जिन्हें इसके पश्चात सामूहिक रूप से 'बोर्ड' कहा जाएगा) उचित नियमितता के साथ उपस्थित होगा/होगी और बैंक के निदेशक के रूप में अपने दायित्वों का ईमानदारी और लगन से पालन करेगा/करेगी;
(ई) बैंक के हित के अलावा किसी अन्य विचार के लिए बोर्ड के किसी निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा/करेगी;
(एफ) बोर्ड के समक्ष लाए गए बैंक को प्रभावित करने वाले सभी मामलों पर स्वतंत्र निर्णय लागू करेगा/करेगी, जिसमें वैधानिक अनुपालन, प्रदर्शन समीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन, प्रमुख कार्यकारी नियुक्तियां और आचरण के मानक शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं;
(जी) बोर्ड के समक्ष लाए गए या बोर्ड द्वारा उसे सौंपे गए मामलों में अपने निर्णय का प्रयोग करते समय किसी भी व्यापारिक या अन्य संबंध से मुक्त रहेगा/रहेगी जो उसके स्वतंत्र निर्णय के प्रयोग में भौतिक रूप से हस्तक्षेप कर सकता हो; और
(एच) बोर्ड की बैठकों में अपने विचार और राय बिना किसी भय या पक्षपात के और अपने स्वतंत्र निर्णय के प्रयोग पर किसी प्रभाव के बिना व्यक्त करेगा/करेगी;

(v) निदेशक के पास होगा/होगी:

(ए) सद्भावना में और बैंक के हित में कार्य करने और किसी पार्श्विक उद्देश्य के लिए नहीं कार्य करने की न्यासनीय ड्यूटी;

(बी) केवल बैंक के ज्ञापन और अनुच्छेदों और लागू कानूनों और विनियमों द्वारा निर्धारित शक्तियों के भीतर कार्य करने की ड्यूटी; और

(सी) बैंक के व्यवसाय की उचित समझ प्राप्त करने की ड्यूटी।

(vi) निदेशक:

(ए) बोर्ड द्वारा उसे सौंपे गए मामलों के संबंध में उत्तरदायित्व से बचेंगे/बचेंगी नहीं;

(बी) बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों और अन्य अधिकारियों द्वारा उनके कर्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप नहीं करेगा/करेगी और जहां कहीं भी निदेशक को ऐसा विश्वास करने का कारण है, तो वह तत्काल अपनी चिंता बोर्ड के समक्ष प्रकट करेगा/करेगी; और

(सी) बोर्ड के सदस्य के रूप में उसे प्रकट जानकारी का अपने या किसी अन्य के लाभ या फायदे के लिए अनुचित उपयोग नहीं करेगा/करेगी और बैंक द्वारा उसे बैंक के निदेशक के रूप में अपनी हैसियत में प्रकट जानकारी का उपयोग केवल अपने निदेशक के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन के उद्देश्यों के लिए करेगा/करेगी और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

3. बैंक, निदेशक के साथ यह वचन देता है कि:

(i) बैंक, निदेशक को निम्नलिखित के बारे में अवगत कराएगा:

(ए) बोर्ड की प्रक्रियाएं, जिनमें निदेशक के कानूनी और अन्य कर्तव्यों की पहचान और वैधानिक दायित्वों के साथ आवश्यक अनुपालन शामिल हैं;

(बी) नियंत्रण प्रणालियां और प्रक्रियाएं;

(सी) बोर्ड की बैठकों में मतदान अधिकार, जिनमें वे मामले शामिल हैं जिनमें निदेशक को अपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित के कारण भाग नहीं लेना चाहिए;

(डी) अर्हता आवश्यकताएं और ज्ञापन और अनुच्छेदों की प्रतियां प्रदान करना;

(ई) कॉर्पोरेट नीतियां और प्रक्रियाएं;

(एफ) भेदिया लेनदेन (इंसाइडर डीलिंग) प्रतिबंध;

(जी) बोर्ड द्वारा गठित विभिन्न समितियों का गठन, उन्हें प्राधिकार का प्रत्यायोजन और उनकी कार्यवाली की शर्तें;

(एच) वरिष्ठ कार्यकारिणियों की नियुक्तियां और उनका प्राधिकार;

(आई) पारिश्रमिक नीति;

(जे) बोर्ड की समितियों का विचार-विमर्श; और

(के) नीतियों, प्रक्रियाओं, नियंत्रण प्रणालियों, लागू विनियमों, जिनमें बैंक के ज्ञापन और अनुच्छेद, प्राधिकार का प्रत्यायोजन, वरिष्ठ कार्यकारिणी आदि शामिल हैं, में किसी भी परिवर्तन को संप्रेषित करना और अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायंस ऑफिसर) की नियुक्ति करना जो सभी वैधानिक और कानूनी अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा।

(ii) बैंक बोर्ड को, जिसमें निदेशक भी शामिल हैं, वह सभी सूचना प्रकट करेगा और प्रदान करेगा जो बैंक के निदेशकों के रूप में अपने कार्यों और कर्तव्यों को निभाने और बोर्ड के समक्ष विचार के लिए लाए गए या बोर्ड अथवा उसकी किसी समिति द्वारा निदेशक को सौंपे गए मामलों के संबंध में सूचित निर्णय लेने के लिए उचित रूप से अपेक्षित है;

(iii) बैंक द्वारा निदेशकों को की जाने वाली खुलासा में निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:

(ए) बोर्ड के समक्ष लाए गए मामलों के संबंध में सूचित निर्णय लेने के लिए सभी प्रासंगिक सूचना;

(बी) बैंक की रणनीतिक और व्यापारिक योजनाएं और पूर्वानुमान;

(सी) बैंक की संगठनात्मक संरचना और प्राधिकार का प्रत्यायोजन;

(डी) प्रक्रियाओं सहित कॉर्पोरेट और प्रबंधन नियंत्रण और प्रणालियां;

(ई) आर्थिक विशेषताएं और विपणन वातावरण;

(एफ) बैंक के उत्पादों पर यथोचित सूचना और अद्यतन;

(जी) प्रमुख व्यय पर सूचना और अद्यतन;

(एच) बैंक के प्रदर्शन की आवधिक समीक्षा; और

(आई) रणनीतिक पहलों और योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में आवधिक रिपोर्ट;

(iv) बैंक बोर्ड की विचार-विमर्श के परिणाम निदेशकों और संबंधित कर्मिकों को संप्रेषित करेगा और बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त तैयार करेगा और उसे निदेशकों में समय पर परिचालित करेगा, और जहां तक संभव हो, बोर्ड की बैठक समाप्त होने की तारीख से दो कार्य दिवसों के भीतर; और

(v) निदेशक को बोर्ड के समक्ष रखे गए मामलों में प्रत्यायोजित प्राधिकार के स्तरों के बारे में सलाह देगा।

4. बैंक निदेशक को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के संचालन, जिसमें इसकी प्रभावशीलता भी शामिल है, पर आवधिक रिपोर्ट प्रदान करेगा।
5. बैंक एक अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायंस ऑफिसर) की नियुक्ति करेगा जो एक वरिष्ठ कार्यकारी होगा और बोर्ड को रिपोर्ट करेगा। वह नीतियों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होगा और लागू कानूनों और विनियमों तथा नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की निगरानी करेगा, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश और अन्य संबंधित वैधानिक और सरकारी प्राधिकारियों के निर्देश शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
6. निदेशक अपने पद और बैंक के निदेशक के रूप में अपने अधिकारों और दायित्वों को किसी तीसरे पक्ष को सौंपेगा, अंतरित करेगा, उप-पट्टे पर नहीं देगा या बोझित नहीं करेगा। बशर्ते कि इसमें निहित किसी भी बात को इस प्रकार नहीं समझा जाएगा कि यह बोर्ड या उसकी किसी समिति द्वारा लागू कानूनों और विनियमों, जिनमें बैंक का ज्ञापन और अंतर्नियम शामिल हैं, के अधीन किसी प्राधिकार, शक्ति, कार्य या प्रतिनिधिमंडल को प्रतिबंधित करता हो।
7. इसमें शामिल किसी भी पक्ष द्वारा किसी दायित्व या कर्तव्य का पालन करने, निर्वहन करने, अवलोकन करने या अनुपालन न करने को इसका त्याग (वेवर) नहीं माना जाएगा और न ही यह किसी भी समय या समयों पर इसके भविष्य में पालन, अवलोकन, निर्वहन या अनुपालन में बाधा के रूप में कार्य करेगा।
8. इस वचनबंध पत्र में कोई भी और सभी संशोधन और/या पूरक और/या परिवर्तन केवल तभी वैध और प्रभावी होंगे यदि वे लिखित रूप में हों और निदेशक तथा बैंक के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित हों।
9. यह प्रसंविदा विलेख दो प्रतियों में निष्पादित किया गया है और दोनों प्रतियां मूल मानी जाएंगी।

साक्ष्य स्वरूप, पक्षकारों ने उपरोक्त लिखित दिनांक, माह और वर्ष को इस समझौते को विधिवत निष्पादित किया है।

| | |
|---|---|
| बैंक की ओर से | निदेशक |
| द्वारा: ..................... | ........................ |
| नाम: | नाम: |
| पदनाम: | |

निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में:

1. ........................ 2. ........................

**अनुलग्नक-III**

## फार्म – ए

**प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी और सीईओ / सीईओ) अथवा किसी अन्य निदेशक की नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति/ पारिश्रमिक आदि अथवा निदेशक की नियुक्ति की समाप्ति से संबंधित उपबंध में संशोधन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन हेतु आवेदन**

बैंकिंग कंपनी का नाम: ..........................................................................................

पता: ..............................................................................................................

दिनांक: ------------------

सेवा में,
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
विनियमन विभाग
केंद्रीय कार्यालय,
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबई - 400001

महोदया/महोदय,

**विषय: बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ख के अंतर्गत अनुमोदन हेतु आवेदन।**

महोदया/महोदय,

हम एतद्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी के प्रावधानों के अंतर्गत, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार संबंधित उपबंध/उपबंधों में निम्नलिखित संशोधन/संशोधनों हेतु रिज़र्व बैंक के अनुमोदन का आवेदन करते हैं। हम इस संबंध में यदि आपको कोई अतिरिक्त जानकारी आवश्यक प्रतीत होती है, तो उसे प्रस्तुत करने में प्रसन्नता होगी।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
(पदनाम)

| क्र. सं. | विवरण | प्रकट की गई जानकारी |
|---|---|---|
| (1) | बताएं कि प्रश्नांतर्गत संशोधन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है। यदि यह बोर्डहै, तो कृपया संबंधित अनुच्छेद की संख्या उद्धृत करें: [सक्षम प्राधिकारी - सामान्य निकाय या निदेशक मंडल, जैसा भी मामला हो - के संकल्प की प्रमाणित प्रति (जिसमें उसकी तारीख का भी उल्लेख हो), जो संशोधन/संशोधनों को प्राधिकृत करती हो, आवेदन के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि संकल्प स्थानीय भाषा में है, तो उसकी अंग्रेजी में अनुवादित प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना वरीय होगा।] | |
| (2) | वह व्यक्ति जिससे संशोधन संबंधित है, का पूर्ण नाम: | |
| (3) | उनके द्वारा धारित पद और क्या वे एमडी और सीईओ / सीईओ भी हैं: | |
| (4) | विवरण -<br>(ए) मौजूदा उपबंध/उपबंध:<br>(बी) प्रस्तावित संशोधन/संशोधन:<br>[उदाहरण के लिए: निर्दिष्ट व्यक्तियों की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति या नियुक्ति की समाप्ति या पारिश्रमिक से संबंधित अनुच्छेदों/ संगठन ज्ञापन में संशोधन; उनके देय पारिश्रमिक में वेतन, भत्ते, रियायतें और लाभों आदि में वृद्धि के माध्यम से जोड़।] | |
| (5) | कंपनी अधिनियम, 2013 के उन प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में स्थिति जो आकर्षित होते हैं, जैसे कि धारा 188, 190, 196, 197: कृपया प्रत्येक धारा (जो लागू हो) के संदर्भ में स्थिति अलग-अलग बताएं। | |
| (6) | कोई अतिरिक्त तथ्य जो बैंकिंग कंपनी आवेदन के समर्थन में या अन्यथा बताना चाहे: | |

कृते

-----------------------------------------------------------

(बैंकिंग कंपनी का नाम)

-----------------------------------------------------------

(हस्ताक्षर)

(पदनाम)

**अनुलग्नक -IV**

**फार्म - बी**

**प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ), पूर्णकालिक निदेशक या अंशकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के अनुमोदन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन**

बैंकिंग कंपनी का नाम: ---------------------------------------------------------------------------------

पता: ------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

दिनांक:------------------

सेवा में,
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
विनियमन विभाग
केंद्रीय कार्यालय,
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबई - 400001

महोदया/महोदय,

**विषय: बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी / 10बी(1ए)(i) के तहत नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के अनुमोदन हेतु आवेदन।**

हम एतद्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी / 10बी (1ए)(i) के प्रावधानों के तहत, निम्नलिखित नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति* हेतु रिज़र्व बैंक के अनुमोदन हेतु आवेदन करते हैं और संबंधित विवरण नीचे प्रस्तुत करते हैं। हम इस संबंध में यदि आपको कोई अतिरिक्त जानकारी आवश्यक प्रतीत होती है, तो उसे प्रस्तुत करने में प्रसन्नता होगी ।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
(पदनाम)

(*जो लागू न हो उसे काट दें।)

## विवरण

| क्र. सं. | विवरण | प्रकट जानकारी |
|---|---|---|
| (1) | बताएं कि प्रश्नांतर्गत नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति करने और इसके नियम व शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है। यदि यह बोर्डहै, तो कृपया संबंधित अनुच्छेद की संख्या उद्धृत करें: [सक्षम प्राधिकारी - सामान्य निकाय या निदेशक मंडल, जैसा भी मामला हो - के संकल्प की प्रमाणित प्रति (जिसमें उसकी तारीख का भी उल्लेख हो), जो नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति को प्राधिकृत करती हो, आवेदन के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि संकल्प स्थानीय भाषा में है, तो उसकी अंग्रेजी में अनुवादित प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना वरीय होगा।] | |
| (2) | नियुक्त/पुनर्नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति का पूरा नाम: | |
| (3) | वर्तमान पदनाम: | |
| (4) | व्यक्ति की -<br>(ए) आयु:<br>(बी) शैक्षणिक योग्यता:<br>(सी) बैंकिंग और/या अन्य व्यावसायिक अनुभव, जिसमें संस्थान/संस्थानों के नाम, उनमें धारित पद/पद और ऐसे अनुभव की अनुमानित अवधि का उल्लेख हो: | |
| (5) | नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की नियम व शर्तें:<br>(ए) क्या नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति किसी अनुबंध या समझौते के तहत होगी:<br>(यदि हां, तो मौजूदा अनुबंध या समझौते की प्रति, यदि कोई हो, के साथ-साथ अनुबंध या समझौते के मसौदे की प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए) | |

| | | |
|---|---|---|
| | (बी) निर्धारित नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की अवधि:<br><br>(सी) पारिश्रमिक का विवरण: | अनुबंध -V में निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा |
| (6) | (ए) बताएं कि क्या बैंकिंग कंपनी नियुक्त/पुनर्नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10(1)(बी)(i) और (ii) तथा धारा 10(1)(सी) के प्रावधानों का अनुपालन करती है: | |
| | (बी) बताएं कि क्या प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ / सीईओ) के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(ne) के साथ पठित धारा 10बी(4) में वर्णित किसी भी निरर्हता लागू होती है: | |
| (7) | कंपनी अधिनियम, 2013 के उन प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में स्थिति जो आकर्षित होते हैं, जैसे कि धारा 188, 190, 196, 197:<br>कृपया प्रत्येक धारा (जो लागू हो) के संदर्भ में स्थिति अलग-अलग बताएं। | |
| (8) | कोई अतिरिक्त तथ्य जो बैंकिंग कंपनी आवेदन के समर्थन में या अन्यथा बताना चाहे: | |

कृते

(बैंकिंग कंपनी का नाम)------------------------------------------------------

(हस्ताक्षर)----------------------------------------------------------------------

(पदनाम)

**नोट:** यदि आवेदन एमडी और सीईओ की पुनर्नियुक्ति से संबंधित है, जिसमें उनकी मौजूदा नियुक्ति या पारिश्रमिक से संबंधित उपबंध/उपबंधों में संशोधन भी शामिल है, तो केवल 'फार्म -बी' के रूप में एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें मौजूदा उपबंध/उपबंधों और प्रस्तावित संशोधन/संशोधनों का विवरण मद संख्या 5 में दर्शाए अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

**अनुलग्नक-V**

## पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पारिश्रमिक/प्रतिकर का विवरण

| **विवरण** | **विद्यमान (₹)** | **प्रस्तावित (₹)** | **परिवर्तन के कारण** |
|---|---|---|---|
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** |
| **भाग-ए:**<br>**स्थिर वेतन (रियायतों सहित):**<br>दिनांक ....... से ............... तक | | | |
| 1. वेतन | | | |
| 2. महंगाई भत्ता | | | |
| 3. सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता लाभ: | | | |
| (ए) भविष्य निधि | | | |
| (बी) ग्रैच्युटी(उपदान) | | | |
| (सी) पेंशन | | | |
| (डी) ......... | | | |
| 4. छुट्टी यात्रा रियायत/भत्ता | | | |
| 5. अन्य स्थिर भत्ते, यदि कोई हो (कृपया निर्दिष्ट करें)* | | | |
| *यदि कोई एकीकृत भत्ता है, तो उन मदों का विवरण दें जिन्हें इसमें शामिल किया गया है। | | | |
| 6. परिलब्धियां: | | | |
| (i) निःशुल्क  सुसज्जित आवास और इसका रखरखाव / आवास किराया भत्ता | | | |
| (ii) यातायात भत्ता/बैंक की कार का मुफ्त उपयोग: | | | |
| (ए) कार्यालयीन प्रयोजनों के लिए | | | |
| (बी) निजी प्रयोजनों के लिए | | | |
| (iii) चालक का वेतन | | | |
| (iv) क्लब सदस्यता | | | |
| (v) चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (vi) कोई अन्य रियायत (कृपया निर्दिष्ट करें) | | | |
| **कुल नियत वेतन (परिलब्धियों सहित)** | | | |

**टिप्पणियां:**

(ए) यदि किसी लाभ की प्रकृति गैर-मौद्रिक है, उदाहरण के लिए मुफ्त सुसज्जित आवास, तो यथासंभव निर्धारित इसके मौद्रिक समकक्ष को अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए। यदि नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति का संबंध पहले से ही आवेदक बैंक से है, तो उसके मौजूदा पारितोषिक आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(बी) पारिश्रमिक में किसी भी प्रस्तावित परिवर्तन के कारण कॉलम (4) में उपयुक्त रूप से दर्शाए जाने चाहिए।

(सी) यदि बैंक कोई साइन-ऑन/जॉइनिंग बोनस (केवल पहले वर्ष तक सीमित) देने का प्रस्ताव रखता है, जो शेयर-लिंक्ड साधनों के रूप में होना चाहिए, तो उसका विवरण (जैसे शेयरों की संख्या, आबंटन की तारीख और मूल्य, मौद्रिक मूल्य, वेस्टिंग अनुसूची) अलग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(डी) बैंकों को स्थिर वेतन में केवल उन रियायतों को बाहर रखना चाहिए जो बिना किसी मौद्रिक सीमा के प्रतिदेय हैं, जैसे कि अस्पताल में भर्ती होने का खर्च आदि। ऐसी रियायतों का विवरण अलग से संलग्न किया जाना चाहिए और कुल स्थिर वेतन की गणना करते समय जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बहिष्करण केवल उन लाभों/रियायतों के लिए हैं जिन्हें पहले से मापा नहीं जा सकता है। ये बहिष्करण पर्यवेक्षी समीक्षा के अधीन होंगे।

| विवरण | विद्यमान (₹) | प्रस्तावित (₹) | परिवर्तन के कारण |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| **भाग-बी:**<br>**परिवर्तनशील वेतन :**<br>वित्त वर्ष/कार्यनिष्पादन अवधि .............. के लिए | | | |
| **1. नकद घटक** | | | |
| • अग्रिम भुगतान (प्रतिशत सहित) | | | |
| • आस्थगित भुगतान (प्रतिशत सहित) | | | |
| **कुल नकद घटक** | | | |
| **वेस्टिंग अवधि (वर्षों में)** | | | |
| **आस्थगन व्यवस्था** | | | |
| (i) पहला वर्ष | | | |
| (ii) दूसरा वर्ष | | | |
| (iii) तीसरा वर्ष | | | |
| (iv) ................. | | | |
| **2. गैर-नकद घटक (शेयर-लिंक्ड साधन):** | | | |
| (i) **ईएसओपी/ईएसओएस** | | | |
| (ए) शेयर/शेयर-लिंक्ड साधनों की संख्या | | | |
| (बी) मौद्रिक मूल्य | | | |
| (सी) आस्थगन (प्रतिशत सहित) | | | |
| (डी) वेस्टिंग अनुसूची का विवरण | | | |
| (ii) **(कोई अन्य शेयर-लिंक्ड साधन)** | | | |
| (ए) शेयर/शेयर-लिंक्ड साधनों की संख्या | | | |
| (बी) मौद्रिक मूल्य | | | |
| (सी) आस्थगन (प्रतिशत सहित) | | | |
| (डी) वेस्टिंग अनुसूची का विवरण | | | |
| (iii) कोई अन्य गैर-नकद घटक (कृपया विशिष्ट करें) और इसका मौद्रिक मूल्य, आस्थगन, वेस्टिंग अनुसूची आदि का | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| उल्लेख करें | | | |
| **गैर-नकद घटक का कुल मौद्रिक मूल्य** | | | |
| **परिवर्तनशील वेतन का कुल मौद्रिक मूल्य (नकद और गैर-नकद घटक)** | | | |
| **कुल परिवर्तनशील वेतन में नकद घटक का %** | | | |
| **कुल परिवर्तनशील वेतन में गैर-नकद घटक का %** | | | |
| **स्थिर वेतन के मुकाबले परिवर्तनशील वेतन का %**<br>**और कुल पारितोषिक में परिवर्तनशील वेतन का %**<br>(एक ही वित्त वर्ष/निष्पादन अवधि के लिए) | | | |
| **कुल पारितोषिक (स्थिर वेतन + परिवर्तनशील वेतन)** | | | |

**नोट:**

(ए) नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के समय या पारिश्रमिक/पारिश्रमिक संशोधन के अनुमोदन हेतु आवेदन करते समय दोनों भाग-ए और भाग-बी को भरना और प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। लक्ष्य परिवर्तनशील वेतन, विभिन्न उप-घटकों, आस्थगन और वेस्टिंग अवधि आदि सहित भाग-बी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(बी) जब भी बैंक अवधि समाप्त होने के बाद किसी विशिष्ट प्रदर्शन मापन अवधि के लिए परिवर्तनशील वेतन के अनुमोदन हेतु रिज़र्व बैंक के पास जाता है, केवल भाग-बी को उपयुक्त रूप से भरा और प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

**अनुलग्नक -VI**

**---------------------की स्थिति के अनुसार बोर्ड की संरचना पर विवरण**

**बैंक का नाम:----------------------------------------------------------------------------**

**बैंक के अंतर्नियम के अंतर्गत अनुमत निदेशकों की संख्या:--------------------------------**

**निदेशकों की कुल संख्या:----------------------**

| क्र. सं. | निदेशक का नाम | नियुक्ति की तारीख | जन्म तिथि | क्या निर्वाचित/सहयोजित (co-opted) हैं? | क्या वे पूर्व में बोर्ड में थे? यदि हां, तो अवधि | विशेष ज्ञान/व्यावहारिक अनुभव | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |

क्या बोर्डकी संरचना बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10(ए) के प्रावधानों के अनुरूप है? :

क्या बोर्ड में कम से कम 2 ऐसे सदस्य हैं जिनके पास कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सहकारिता या लघु उद्योग के संबंध में विशेष ज्ञान/व्यावहारिक अनुभव है और वे बहुसंख्यक क्षेत्र से संबंधित हैं? :

क्या निदेशकों का समावेशन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुरूप है? :

क्या किसी भी निदेशक या उनके साथ संबद्ध कंपनियों को बैंक द्वारा ऋण सुविधाएं प्रदान की गई हैं? :

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता